



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2011/अग्रहायण 23, 1933

No. 242]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2011/AGRAHAYANA 23, 1933

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

अधिसूचना

मुंबई, 30 नवम्बर, 2011

संदर्भ : यूटी/222/डीओएफए/एसयूयूटीआई-गजट/2011-2012.—भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 21 (4) के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक की विभिन्न योजनाओं के तुलन-पत्र एवं राजस्व लेखे उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रकाशित किए जाते हैं।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रशासक,

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का

विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई)

मुंबई

हमने यथा 31 मार्च, 2011 तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई), मुंबई की योजनाओं/फंडों अर्थात् 1. यूएस 64 बॉण्ड, 2. एआरएस बॉण्ड, 3. डीआईपी91 एवं 4. एमआईपी 96 IV के संलग्न तुलन पत्रों एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न संबंधित राजस्व लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व प्रबंधन पर है एवं इन्हें प्रबंधन द्वारा जो कि कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में केंद्रीकृत है, कई शाखाओं एवं प्रमुख कार्यालयों (पूर्ववर्ती यूटीआई के, जिन्हें अब यूटीआई वित्तीय केंद्रों में बदल दिया गया है) से प्राप्त, संग्रहीत एवं विस्तारपूर्वक मिलान किए गए वित्तीय आंकड़ों/सूचना के विवरण के आधार पर तैयार किया गया है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा संपन्न लेखापरीक्षा के आधार पर, इन विवरणियों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन, भारत के सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसका कार्यानिष्पादन करें ताकि हमें उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये वित्तीय विवरण भौतिक गलतियों से परे हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि के समर्थन में साक्ष्य एवं

प्रकटन की जाँच की जाती है। लेखापरीक्षा में, प्रयोग में लाई गई लेखा संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन का मूल्यांकन भी किया जाता है और साथ ही समस्त वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा संचालित लेखापरीक्षा से हमारे विचारों को एक समुचित आधार प्राप्त होता है।

यहाँ दर्शाई गई लेखापरीक्षा के आधार पर एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 की आवश्यकतानुसार और प्रकटन हेतु आवश्यक परिसीमा के अनुरूप तथा यहाँ संलग्न अनुबंध में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों एवं तालिका 'ड' में उल्लिखित लेखा टिप्पणियों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने वह सारी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- ख) तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखे, लेखा बहियों के समनुरूप हैं।
- ग) हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और अनुसूची 'ड' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर :
- i) उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं और "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम के हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002", के अंतर्गत बनाए गए हैं ताकि यथा 31 मार्च, 2011, एसयूयूटीआई की विभिन्न योजनाओं/प्लानों/फंडों की सच्ची और साफ स्थिति को दर्शाया जा सके।
 - ii) योजनाओं/फंडों अर्थात् 1. यूएस 64 बॉण्ड, 2. एआरएस बॉण्ड, 3. डीआईपी 91 और 4. एमआईपी 96 IV के उक्त राजस्व लेखे, आय का व्यय से अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं।

कृते अशोक भारतीय एवं कं.,
सनदी लेखाकार

(अशोक भारतीय)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 29.08.2011

अशोक भारतीय एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
(अनुबंध, उक्त रिपोर्ट के अंश)

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के जरिए निरस्त कर दिया था। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी, 2003 की अपनी अधिसूचना के जरिए 01 फरवरी, 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था। अतः उपरोक्त योजनाओं/फंडों के संबंध में एसयूयूटीआई के लेखे, निरसन अधिनियम के अनुसरण में तैयार किए गए हैं।
2. डिबेंचर एवं बॉण्ड में किए गए निवेश जिनमें सावधि ऋण (ऋण निवेश से संबंधित) भी शामिल हैं, में पिछले कई वर्षों के दौरान स्वीकृत ऐसे कई मामले शामिल हैं, जहाँ हालांकि बहुत पहले ही अनुबंधित अवधि बीत चुकी थी फिर भी पूर्ण रूप से सुरक्षा निर्मित नहीं की गई है तथा जब तक मामले/कंपनियां वसूली/बीआईएफआर/परिसमापन के अधीन हैं, ऋण पोर्टफोलियो पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
3. एसयूयूटीआई ने, यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विस लि. के जरिए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हुए कई संपत्तियों की बिक्री की है। हमारी राय में, बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि, बिक्री संबंधी प्रक्रिया में शीघ्रता लाने, संपत्तियों की बिक्री निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन एवं सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने हेतु प्रयोग में लाई जा रही नीतियों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं, इससे वित्तीय विवरणी एवं दीर्घावधि से लंबित समीक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

कृते अशोक भारतीय एवं कं.
सनदी लेखाकार

(अशोक भारतीय)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 29.08.2011

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क. आय निर्धारण

- I. लाभांश आय निम्नलिखित आधार पर निर्धारित मानी जाती है:
 - क. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के सम्बंध में लाभांश आय, "लाभांश रहित" तारीख को प्रोद्भूत होती है।
 - ख. असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के सम्बंध में लाभांश आय, घोषणा की तारीख को प्रोद्भूत होती है।
 - ग. अधिमान शेयरों के सम्बंध में लाभांश आय, प्राप्ति की तारीख को प्रोद्भूत होती है।
- II. डिबेंचर एवं अन्य नियत आय वाले निवेशों पर ब्याज का निर्धारण, प्रोद्भवन आधार पर आय माना जाता है।
- III. निवेशों की बिक्री से होनी वाले लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री तारीख को भारत औसत लागत के आधार पर किया जाता है।
- IV. यूनिट योजना 1964 बॉण्ड, जिसके अंतर्गत अचल आस्तियां हैं, यूटीआई एएमसी लि. द्वारा उपरोक्त आस्तियों के प्रयोगार्थ न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित आपसी सहमति आधार पर सेवा प्रभार वसूल करता है।

ख. यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि

यूएस 64 के सम्बंध में, जहां यूनिटें भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के अंतर्गत अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर पुनर्खरीद की जा रही हों तो प्रीमियम को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है। जब कभी यूएस 64 की यूनिटें, शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) आधारित मूल्यों के अंतर्गत पुनर्खरीद की जाती हैं तो बट्टे को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है।

ग. व्यय :

ये प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

घ. निवेश

- i. निवेश लागत अथवा घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।
- ii. द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद/ बिक्री को व्यापार की तारीख को हिसाब में लिया जाता है।
- iii. निवेश की लागत में दलाली, सेवा-कर एवं डाक प्रभार शामिल है।
- iv. प्राथमिक बाजार में अभिदान, आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- v. अधिकार पात्रता का निवेश के रूप में निर्धारण "अधिकार रहित" तारीख को किया जाता है।

- vi. बोनस पात्रता का निवेश के रूप में निर्धारण, "बोनस रहित" तारीख को किया जाता है।
- vii. डिबेंचर/ बॉण्ड, ऋणों एवं जमाराशियों में निवेश को शोधन/ देय तारीख से चालू आस्तियों में हिसाब में लिया एवं दिखाया जाता है।

ड. निष्पादित निवेशों का मूल्यांकन

I. इक्विटी एवं इक्विटी सम्बद्ध प्रतिभूतियां :

अ. कारोबारी प्रतिभूतियां

जब किसी प्रतिभूति का किसी शेयर बाजार में 30 दिनों (मूल्यांकन तिथि सहित) के भीतर लेनदेन किया जाता है एवं ऐसी अवधि के दौरान लेनदेन की समग्र मात्रा 50,000 से अधिक होती हो अथवा लेनदेन की मात्रा रु.5,00,000 से अधिक हो तो प्रतिभूति को कारोबारी प्रतिभूति कहा जाता है। इनका मूल्यांकन बीएसई के अंतिम बंद मूल्य पर किया जाता है तथा इसकी अपुनस्थिति में एनएसई का अंतिम बंद मूल्य लिया जाता है।

आ. गैर कारोबारी / कम कारोबारी / असूचीबद्ध प्रतिभूतियां :

प्रतिभूतियों में निवेश जिसका उपरोक्तानुसार किसी भी शेयर बाजार में लेनदेन नहीं किया गया है, का मूल्यांकन उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है।

II. डिबेंचर, बॉण्ड, सावधि ऋण एवं अंतरणीय नोट - ऋण प्रतिभूतियां :

अ. कारोबारी प्रतिभूतियां :

डिबेंचर एवं बॉण्डों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तिथि को अंतिम बाजार दर पर किया जाता है और इसकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन तिथि से 15 दिन की अवधि के दौरान उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है बशर्ते उस प्रतिभूति का मुख्य शेयर बाजार अथवा अन्य किसी शेयर बाजार में विक्रय योग्य लॉट (वर्तमान में रु.5 करोड़) में अलग-अलग लेनदेन हुआ हो।

आ. गैर कारोबारी/ कम कारोबारी प्रतिभूतियां :

गैर कारोबारी/ कम कारोबारी प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

i) दर्जाकृत ऋण प्रतिभूतियां :

182 दिनों से अधिक अवशेष परिपक्वता अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियां

182 दिनों से अधिक अवशेष परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन क्रिसिल द्वारा प्रदान किए गए मैट्रिक्स पर आधारित परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) पर किया जाता है। परिपक्वता पर प्रतिफल को अनकदीकरण की जोखिम हेतु बढ़ाया अथवा घटाया जाता है।

182 दिनों की परिपक्वता अवशेष अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियां:

182 दिनों की परिपक्वता अवशेष अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को प्रतिभूतियों के परिशोधन के आधार पर किया जाता है।

पुट/ कॉल ऑप्शन वाली ऋण प्रतिभूतियां :

कॉल ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नतम कॉल पर किया जाता है और पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन सबसे अधिक पुट पर किया जाता है। पुट एवं कॉल दोनों ऑप्शन वाली प्रतिभूतियां पुट/ कॉल तिथि को परिपक्व हुई समझी जाएंगी एवं तदनुसार मूल्यांकित होंगी।

पूर्णतः/ अंशतः/ वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर :

- i. डिबेंचरों के परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, जहां परिवर्तन की शर्तें उपलब्ध हों, क्रमशः कारोबारी एवं कम कारोबारी/ गैर कारोबारी इक्विटी हेतु लागू बाजार के अंतिम मूल्य अथवा उचित मूल्य में से नकदीकरण हेतु 10% बट्टा काट कर किया जाता है।
- ii. परिवर्तनीय डिबेंचरों के गैर परिवर्तनीय भाग एवं परिवर्तनीय डिबेंचरों की सम्पूर्ण राशि का मूल्यांकन, जहां परिवर्तन की शर्तें लागू न हों, पैरा (II) के अनुसार गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए लागू मापदण्डों के अनुसार किया जाता है।

ii) अदर्जाकृत/ गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियां :

अदर्जाकृत/ गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य में से 25 प्रतिशत बट्टा काटकर किया जाता है जबकि दीर्घावधि बट्टा वाले बॉण्डों का मूल्यांकन उनके अंतर्निहित लागत में से 25 प्रतिशत बट्टा काट कर किया जाता है।

III. सरकारी प्रतिभूतियां :

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को एम्फी द्वारा पंजीकृत संस्था क्रिसिल द्वारा जारी मूल्यों पर किया जाता है।

IV. अनोधृत वारंट :

अनोधृत वारंटों का मूल्यांकन लाभांश तत्व के लिए बट्टाकृत , यदि कोई हो, अंतर्निहित इक्विटी शेयर के बाजार मूल्य में से देय प्रायोगिक मूल्य घटा कर किया जाता है। जिन मामलों में इस प्रकार प्राप्त मूल्य, देय

प्रायोगिक मूल्य से अधिक होता है वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है और जहां देय प्रायोगिक मूल्य उपलब्ध नहीं है अथवा अंतर्निहित इक्विटी, गैर कारोबारी/ असूचीबद्ध है तो ऐसे वारंट का मूल्य लागत पर लिया जाता है।

V. अधिकार पात्रता :

शेयरों की अधिकार पात्रता का मूल्यांकन शेयरों के बाजार मूल्य में से देय प्रायोगिक मूल्य को घटाकर तथा लाभांश तत्व के लिए बट्टा काट कर, जहां लागू हो, किया जाता है।

VI. मुद्रा बाजार की लिखतें :

मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश का मूल्यांकन लागत तथा मूल्यांकन तिथि तक उपार्जित व्याज पर किया जाता है।

VII. अनोधृत / कम कारोबारी अधिमान शेयर :

- i. अधिमान शेयरों के दर्जे के अभाव में किसी कंपनी की उपलब्ध ऋण लिखतों के दर्जे का प्रयोग मूल्यांकन हेतु किया जाता है।
- ii. बीबीबी (-) एवं उससे उच्च श्रेणी वाली निवेश श्रेणी का मूल्यांकन, उपर्युक्त मूल्य बढ़ाकर, क्रिसिल मैट्रिक्स/ अन्य दर्जा निर्धारण एजेन्सियों द्वारा प्रदान किए गए दर्जे पर परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) पर किया जाता है।
- iii. 'अदर्जाकृत' एवं 'निवेश श्रेणी से निम्न' श्रेणी वाले अधिमान शेयरों का मूल्यांकन अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर किया जाता है।
- iv. संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयरों का मूल्यांकन, पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचरों के मूल्यांकन हेतु लागू मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। यदि परिवर्तन के ब्यौरे उपलब्ध न हों तो वे सामान्य अधिमान शेयर माने जाते हैं और तदनुसार मूल्यांकित किए जाते हैं।
- v. अधिमान शेयरों पर 90 दिनों के भीतर लाभांश प्राप्त न होने के मामले में मूल्यांकन हेतु 15% बट्टा लागू किया जाता है। यदि बकाया 1 वर्ष से अधिक तक जारी रहता हो, तब 20% बट्टा लागू होता है।
- vi. यदि प्रतिदान राशि 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो प्राप्य प्रतिदान हेतु 100% प्रावधान बनाया जाता है। यदि प्रतिदान किस्तों में हो और प्रतिफल 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता हो तो प्राप्य प्रतिदान हेतु प्रावधान के अतिरिक्त शेष राशि पर नीचे दिए गए अनुसार बट्टा लागू होता है।

- vii. यदि अधिमान शेयरों के प्रति पहले से ही प्रावधान किया गया हो तथा कंपनी द्वारा जारी कोई अन्य आस्ति गैर निष्पादी हो तो ऐसे अधिमान शेयरों को शून्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

च. प्रावधान एवं मूल्यहास :

I. निवेश के मूल्य में मूल्यहास :

उपरोक्त मानदण्डों के अनुसार संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यहास, यदि कोई हो, राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो तो पहले समायोजित किए गए मूल्यहास की सीमा तक मूल्यवृद्धि राजस्व लेखे में पुनः जमा कर दी जाती है।

II. गैर निष्पादी आस्तियों हेतु प्रावधान: (एनपीए)

- i. आस्ति को गैर निष्पादी (एनपीए) वर्गीकृत किए जाने की तिथि से पहले की अवधि के बकाया ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऐसी "आस्तियां" जिनका ब्याज/ मूलधन, एक तिमाही अर्थात् 90 दिन अथवा उससे अधिक दिनों से ऐसी आय/ किस्तें देय हों, उन्हें गैर निष्पादी आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज एवं निवेश का प्रावधान आस्ति के एनपीए वर्गीकृत किए जाने की तिथि से किया जाता है।
- ii. एनपीए पर प्रावधान को राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है।
- iii. देय राशि की प्राप्ति पर उपरोक्त किए गए प्रावधान को चरणबद्ध रीति से पुनरांकित किया जाता है।
- iv. लाभांश के संबंध में प्रावधान किया जाता है, यदि वह लाभांश-रहित तिथि से 120 दिन से अधिक तक बकाया बना रहे।

छ. अंतर योजना कारोबार (आईएसटी):

- i. **कारोबारी इक्विटी शेयर :** कारोबारी प्रतिभूतियों की आईएसटी दिन (स्पॉट मूल्य) पर यथा आईएसटी तिथि पर प्रभावित होता है और इसकी अनुपस्थिति में पिछले 30 दिनों के दौरान उपलब्ध नवीनतम अंतिम बाजार मूल्य पर किया जाता है।
- ii. **गैर कारोबारी/ कम कारोबारी/ गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर :**
मोचन होने वाली योजनाओं के मामले में (अर्थात् आईएसटी की तिथि से 45 दिनों के अंदर परिपक्व होने वाली योजनाएं) प्रतिभूतियों की आईएसटी से संबंधित तिथि निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त अंतरण मूल्य पर प्रभावित होगी :

- क) यदि ऐसी इक्विटी हेतु, यथा आईएसटी तिथि, पिछले 90 दिनों के दौरान किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में बाजार भाव उपलब्ध हो तो ऐसे बाजार भाव में से 25% अनकदीकरण हेतु बट्टा काट कर किया जाता है।
- ख) अनोधृत इक्विटी समय-समय पर पूर्ववर्ती न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित पद्धति के अनुसार मूल्यांकित की जाती है। अनोधृत इक्विटी का आईएसटी उचित मूल्य में से 50% बट्टा काट कर किया जाता है।
- ग) अन्य योजनाओं से निविदा बुलाकर आईएसटी, सबसे अधिक बोली पर प्रभावित होता है।
- घ) यदि कोई भी योजना, लेने हेतु तैयार नहीं हो तो, प्रतिभूति रु.0.01 प्रति शेयर पर हस्तांतरित हो जाती है। मोचित न होने वाली योजनाओं की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण रु.0.01 प्रति शेयर पर डीआरएफ में होता है।

iii डिबेंचर / बॉण्ड :

- क) कारोबारी डिबेंचर एवं बॉण्डों का आईएसटी, नीति ड II(अ) के अनुसार प्रभावित होता है।
- ख) कम कारोबारी/ गैर-कारोबारी डिबेंचरों, बॉण्डों एवं अंतरणीय नोट नीति ड II(आ) के अनुसार प्रभावित होते हैं।
- ग) गैर-निष्पादी प्रतिभूतियों का डीआरएफ में अंतरण रु.1.00 प्रति प्रतिभूति की दर पर किया जाता है।
- iv. सरकारी प्रतिभूतियों के आईएसटी, नीति ड(III) के अनुसार प्रभावित होते हैं।
- v. अन्य निवेश - अन्य निवेशों/आस्तियों का आईएसटी ऐसे निवेशों की अंतर्निहित लागत पर प्रभावित होता है।
- vi. योजनाओं की उधार निधियां, यदि कोई हों, अनुमोदित दरों पर ब्याज का भुगतान आंतरिक रूप से करती हैं।

ज. अभिरक्षक :

भारतीय स्टॉक धारिता निगम (एसएचसीआईएल) अभिरक्षक सेवाएं प्रदान करता है तथा उसके शुल्क प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

झ. अचल आस्तियां :

- i. अचल आस्तियों का उल्लेख पूर्ववर्ती लागत में संचित मूल्यहास घटाकर किया जाता है, सिवाय भूमि, भवन, परिसर और भवनों में सुधार के संदर्भ में, जिन्हें संचित मूल्यहास घटाकर पुनर्मूल्यांकित लागत पर दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की दशा में, परिणामतः पुनर्मूल्यांकन पर आधिक्य को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यवृद्धि की राशि पर मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है।

- ii. मूल्यहास का प्रावधान घटी हुई लागत पद्धति से निम्नलिखित दरों पर किया जाता है। ऐसी आस्तियों को छोड़कर जो लेखा वर्ष के दौरान छः माह से कम अवधि के लिए धारित हों, जिनके मूल्यहास का प्रावधान उल्लिखित से आधी दर पर किया जाता है :-
- | | |
|---|--------|
| भवन एवं स्वामित्व वाले परिसर | 5% |
| फर्नीचर एवं फिक्स्चर | 10% |
| कार्यालय उपकरण, भवन सुधार,
सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एवं मोटर वाहन | 33.33% |
- पट्टे पर जमीन एवं परिसर का परिशोधन, पट्टे की अवधि में समान रूप से किया जाता है।
- iii. ऐसे परिसरों, जिनकी पट्टे की अवधि 8 वर्ष से अधिक हो जाए, में भवन सुधारों का मूल्यहास 33.33% की दर से किया जाता है, तथापि, पट्टावधि आठ वर्ष से अधिक न होने के मामले में, उसे आठ वर्ष की अवधि के बाद परिशोधित किया जाता है और आठ वर्षों की अवधि के भीतर पट्टा नवीकृत न होने के मामले में, बकाया परिशोधित राशि पट्टे के अंतिम वर्ष में प्रभारित की जाती है।
- iv. अचल आस्तियां, जो संस्थापित हैं एवं प्रयोग में लायी जाती हैं, देयताओं का अंतिम निपटान लंबित रहने तक, अनुमोदित आधार पर उल्लिखित की जाती हैं। अंतिम निपटान होने पर मूल्यहास, आस्ति के प्रयोग में लाए जाने की तारीख से समायोजित किया जाता है।
- v. अचल आस्तियों की बिक्री पर, लागत की अवलिखित राशि एवं पुनर्मूल्यांकन पर अचल आस्तियों की मूल्यवृद्धि को घटाने पर प्राप्त लाभ/ हानियां, राजस्व लेखे में हिसाब में ली जाती हैं। बेची गई आस्तियों हेतु पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में बकाया शेष को सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दिया गया है।

अ. प्रारक्षित निधि :

पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 25 ख(1) के उपबंधानुसार निम्नलिखित कोष स्थापित किए गए हैं, जो एसयूटीआई के ही हैं, लेकिन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यूनिट योजना 1964 बॉण्ड के लेखों में लिखे जाते हैं।

विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) :

क गठन :

इस निधि को विकास, अनुसंधान, संवर्धनशील तथा ट्रस्ट के अन्यक्रियकलापों के लिए बनाया गया है। यह निधि कुछ योजनाओं के अंतर्गत प्रतिलाभ/ पूंजी के संबंध में गारंटी प्रदान करती है। यह निधि निम्नलिखित से बनी है :-

i. अंशदान से:

- 1 जुलाई, 1994 से आरंभ की गई योजनाओं से संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार।
- अन्य सभी योजनाओं के लिए पूर्ववर्ती यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दर पर।

ख. परिचालन :

- i. निधि की आय एवं व्ययों को प्रोद्घवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- ii. निवेश उपरोक्त ड में बताई गई नीति के अनुसार दर्शाए जाते हैं।
- iii. निधि मुख्य रूप से ट्रस्ट द्वारा प्रवर्तित/ सह-प्रवर्तित कंपनी की इक्विटी शेयरों में निवेश करती है।
- iv. योजना के समाप्त होने के दो वर्ष पश्चात्, लेखा वर्ष के अंत में अवशेष आस्तियां बाजार मूल्य, यदि उपलब्ध हो, अन्यथा अनुमोदित दरों के आधार पर मूल्यांकित की जाती है। इस प्रकार प्राप्त मूल्य को देयताओं/ प्रावधानों के प्रति समायोजित किया जाता है और परिणामतः शुद्ध अधिशेष/ कमी को डीआरएफ में अंतरित किया जाता है। समूहित योजनाओं के मामले में यह प्रथा अंतिम योजना के समाप्त होने के दो वर्ष के पश्चात् अपनाई जाती है। यदि भविष्य में इस योजना के प्रति कोई दावा होता है तो वह डीआरएफ को प्रभारित किया जाता है।

ग. मोचन पश्चात् योजनाओं का शेष, जहां महत्वपूर्ण इक्विटी भारत सरकार की तरफ से धारित है, विधिवत् आस्तियों एवं देयताओं का मिलान कर डीआरएफ में दर्शाया जाता है।

घ. अन्य निधियां :-

वर्तमान में हमारे पास दो निधियां अर्थात् आस्ति पुनर्संरचना निधि, कर्मचारी कल्याण निधि हैं जिनकी स्थापना विकास प्रारक्षित निधि से प्राप्त अंशदान के जरिए की गई है।

ड. आय वितरण :

- i. यूनिट पूंजी पर आय वितरण का प्रावधान, योजना के प्रावधानों/ प्रशासक द्वारा अनुमोदित दर पर किया जाता है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2011 का तुलन पत्र

रुपए लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉण्ड	
	31.03.2011	31.03.2010
देयताएं		
पूंजी.....'क'		
प्रारक्षित निधि और अधिशेष.....'ख'	210,319.64	173,967.45
चालू देयताएं एवं प्रावधान.....'ग'	164,021.33	217,176.85
विकास प्रारक्षित निधि का आकार	461,458.86	521,492.42
विकास प्रारक्षित निधि की चालू देयताएं एवं प्रावधान	35,996.21	39,010.36
विकास प्रारक्षित निधि के तहत मोचन उपरंत योजनाओं की देयताएं	83,777.03	76,588.88
विकास प्रारक्षित निधि.....'घ'	581,232.10	637,091.66
अन्य फंडों का आकार		110,483.36
अन्य फंडों की चालू देयताएं एवं प्रावधान	102,179.41	123,874.53
अन्य फंड.....'ङ'	219,694.79	234,357.89
कुल देयताएं	1,175,267.86	1,262,593.85
आस्तियां		
निवेश.....'च'	362,055.62	375,387.55
जमा राशियां.....'छ'		
चालू आस्तियां.....'ज'	4,985.26	7,694.74
निश्चित आस्तियां.....'झ'	7,300.09	8,062.01
विकास प्रारक्षित निधि की आस्तियां	497,455.07	560,502.78
विकास प्रारक्षित निधि के तहत मोचन उपरंत योजनाओं की आस्तियां	83,777.03	76,588.88
विकास प्रारक्षित निधि की कुल आस्तियां.....'ञ'	581,232.10	637,091.66
अन्य फंडों की आस्तियां.....'ट'	219,694.79	234,357.89
कुल आस्तियां	1,175,267.86	1,262,593.85
लेखा टिप्पणियां.....'ड'		

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

समाप्ति के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी

सनदी लेखाकार

अशोक भारतीय
भागीदार

इम्तियाजुर रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के. एन पृथ्वीराज
प्रशासक

मुंबई
दिनांक: 03.06.2011

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 की अवधि हेतु राजस्व लेखा

	रुपए लाख में	
	यूनिट योजना 64 बॉण्ड	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय		
लाभान्श	38,614.74	16,755.17
ब्याज	(2,927.46)	970.62
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ	3,449.20	3,874.27
अन्य आय	813.16	445.87
पिछली अवधि के समायोजन - आय	-	-
पिछले वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनर्कित	-	157.39
संदिग्ध निवेशों एवं जमापेशियों के प्रति प्रावधान, पुनर्कित	271.90	-
वर्ष के दौरान पुनर्कित निवेश की लागत	162.64	2.08
मिलान की बकाया मदों हेतु प्रावधान, पुनर्कित	-	151.08
उप योग (क)	40,384.18	22,356.48
घटाएँ: निवेश की लागत, पुनर्कित	-	-
घटाएँ: संदिग्ध आय हेतु प्रावधान	37.71	39.68
घटाएँ: संदिग्ध निवेश एवं जमापेशियाँ हेतु प्रावधान	9.90	110.76
घटाएँ: मिलान में पुरानी मदों हेतु प्रावधान	-	-
उप योग (ख)	47.61	150.44
योग (क-ख)	40,336.57	22,206.04
व्यय		
वर्ष हेतु बॉण्डधारकों को प्रदत्त किया गया ब्याज		
कार्यालय व्यय	462.53	752.60
प्रचार व्यय	0.04	0.19
अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	804.01	281.04
लेखापरीक्षक की फीस	11.88	9.33
एएमसी फीस	492.45	859.49
स्थाई आस्तियों में मूल्यहास	113.61	185.54
उप योग(क)	1,884.52	2,088.19
जोड़ें: अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर हानि	1,494.19	2,554.66
उप योग(ख)	1,494.19	2,554.66
योग (क)+(ख)	3,378.71	4,642.85
व्यय से आय की अधिकता	36,957.86	17,563.19
योग	40,336.57	22,206.04

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक की अवधि हेतु राजस्व विनियोजन लेखा

	रुपए लाख में	
	यूनिट योजना 64 बॉण्ड	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा		
व्यय से अधिक आय	36,957.86	17,563.19
जोड़ें/(घटाएँ): पिछली अवधि के समायोजन	(400.88)	7,431.78
योग	36,556.98	24,994.97
शेष, सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	36,556.98	24,994.97
योग	36,556.98	24,994.97

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

समिति के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी

सन्दी लेखाकार

अशोक भारतीय

भागीदार

इमत्याजुर रहमान

मुख्य वित्तीय अधिकारी

के. एन पृथ्वीराज

प्रशासक

मुंबई

दिनांक: 03.06.2011

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

	रुपए लाख में	
	यूनिट योजना 64 बॉण्ड	
	31.03.2011	31.03.2010
तालिका 'ख' (जारी)		
सामान्य प्रारक्षित निधि		
यूनिट पूंजी पर सामान्य प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	448,057.83	418,364.23
राजस्व विनियोजन लेखों से अंतरित	36,556.98	24,994.97
स्थाई संपत्तियां पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि से अंतरित	74.94	4,698.63
उप योग(क)	484,689.76	448,057.83
कुल योग	210,319.64	173,967.45
तालिका 'ग'		
छालू देयताएं और प्रावधान		
छालू देयताएं		
विविध लेनदार	87,904.08	136,261.92
संबंधीय आबेदन राशि	61.17	61.17
अबाबी आय/लाभांश वितरण	70,732.13	75,305.51
योग (क)	158,697.38	211,628.59
तालिका 'क'		
पूंजी		
बॉण्ड पूंजी		
TOTAL		
तालिका 'ख'		
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष		
यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (यूपीआर)	(279,463.84)	(279,463.83)
वर्ष के दौरान संग्रहीत/प्रबलित प्रीमियम (शुद्ध)		(0.01)
योग	(279,463.84)	(279,463.84)
स्थाई संपत्तियां पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि)	5,373.44	10,458.35
घटाएं: स्थाई संपत्तियों पर मूल्यहास में अंतरित	204.77	386.27
घटाएं: सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित	74.94	4,698.64
योग	5,093.74	5,373.44
तालिका 'ग' (जारी)		
प्रारक्षित निधि		
संदिग्ध समझी गई बकाया आय के लिए प्रावधान	254.22	216.51
संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों के लिए प्रावधान	3,262.50	3,524.50
मिलान की बकाया मर्बों के लिए प्रावधान	1,782.37	1,782.37
आय वितरण हेतु प्रावधान	24.86	24.86
योग (ख)	5,323.95	5,548.25
योग (क)+(ख)	164,021.33	217,176.85
तालिका 'घ'		
विकास प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	521,492.42	467,330.60
विलयित निधियों के शेष का अंतरण		
बिक्री/मोचन पर प्रीमियम	(60.24)	(66.04)
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ब्याज	42,362.78	56,173.47
उप योग(क)	563,794.96	523,438.03
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग	102,336.10	1,945.61
उप योग 'ख'	102,336.10	1,945.61
विकास प्रारक्षित निधि का आकार उप योग ग =क-ख	461,458.86	521,492.42
छालू देयताएं और प्रावधान		
विविध लेनदार	4,047.89	4,089.20
अबाबी आय/लाभांश वितरण	23,507.03	24,312.57
भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान		
संदिग्ध आय हेतु प्रावधान	117.71	162.82
संदिग्ध आय एवं जमा राशियों हेतु प्रावधान	8,319.49	10,441.68
मिलान में बकाया मर्बों हेतु प्रावधान	4.09	4.09
डीआरएफ की छालू देयताएं एवं प्रावधान-उप योग 'घ'	35,996.21	39,010.36
योग X = (ग+घ)	497,455.07	560,502.78

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉण्ड	
	31.03.2011	31.03.2010
तालिका 'घ' (जारी)		
डीआरएफ के अंतर्गत मोचन उपरंत योजनाओं की देयताएं		
मोचन उपरंत फंड		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार सामान्य प्रारक्षित निधि	32,460.08	28,791.43
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ब्याज	7,580.58	3,941.78
निधि का उपयोग	220.35	273.13
उप योग (अ)	39,820.31	32,460.08
चालू देयताएं और प्रावधान		
विविध लेनदार	13.54	6.54
भारत सरकार को देय	43,743.18	43,743.18
संदिग्ध निवेशों एवं जमा राशियों हेतु प्रावधान	200.00	379.06
उप योग (आ)	43,956.72	44,128.78
डीआरएफ के तहत मोचन उपरंत योजनाओं की देयताएं कुल Y = अ+आ	83,777.03	76,588.88
विकास प्रारक्षित निधि Z = X + Y	581,232.10	637,091.66
तालिका 'ङ'		
अन्य निधियां		
(क) स्टाफ कल्याण निधि (एसडब्ल्यूएफ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	23,766.23	23,092.81
वर्ष के दौरान शुद्ध आय	1,170.04	754.59
वर्ष के दौरान उपयोग	62.89	81.17
निधि का आकार - उप योग (क)	24,873.38	23,766.23
चालू देयताएं और प्रावधान		
विविध लेनदार		0.44
उप योग (आ)		0.44
योग 'क' = (अ+आ)	24,873.38	23,766.67
(ख) आस्ति पुनः संरचना निधि (एआरएफ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	86,717.13	82,798.96
वर्ष के दौरान अर्जित आय	6,250.79	4,233.96
निधि का उपयोग	325.92	315.79
निधि का आकार - उप योग (अ)	92,642.00	86,717.13
चालू देयताएं और प्रावधान		
विविध लेनदार	328.07	62.32
संदिग्ध आय हेतु प्रावधान	6,640.12	7,815.29
संदिग्ध निवेश एवं जमा राशियों हेतु प्रावधान	95,211.22	115,996.48
मिलान की बकाया मदों हेतु प्रावधान		
उप योग (आ)	102,179.41	123,874.09
योग 'ख' = (अ+आ)	194,821.41	210,591.22
अन्य निधियों का आकार - योग I	117,515.38	110,483.36
अन्य निधियों की चालू देयताएं एवं प्रावधान - योग II	102,179.41	123,874.53
अन्य निधियां कुल (क+ख)	219,694.79	234,357.89

भारतीय युनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

	युनिट योजना 64 बाण्ड	
	31.03.2011	31.03.2010
तालिका 'च'		
निवेश		
केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमाणपत्र		
डिबेंचर और बाण्ड	7,147.87	11,830.15
अधिमान शेयर	1,377.23	1,380.04
इक्विटी शेयर	332,947.19	334,541.44
म्यूचुअल फंड की युनिटें	20,583.33	27,635.92
योग	362,055.62	375,387.55
उद्धृत (लागत पर)	292,376.27	290,399.48
अनोद्धृत (लागत पर)	69,679.35	84,988.06
'क'	362,055.62	375,387.54
उद्धृत (बाजार मूल्य)	1,877,910.02	1,529,258.18
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	31,928.31	43,270.84
'ख'	1,909,838.33	1,572,529.02
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/(मूल्यहास)		
योग ('ख' - 'क')	1,547,782.71	1,197,141.48
तालिका 'छ'		
जमा राशियां		
बैंकों में जमा राशियां		
अन्य जमा राशियां		
योग	-	-
तालिका 'ज'		
चालू आस्तियां		
बैंकों में चालू खाता शेष	968.33	2,897.90
विशेष देनदार	3,490.06	3,742.99
निवेशों की बिक्री-संवित्वाएं	-	-
वकाया और प्रोद्भूत आय	503.94	585.99
अग्रिम, जमा राशियां आदि	22.93	467.87
शेयर/डिबेंचर आवेदन राशि	-	-
भारत सरकार को देव	-	-
योग	4,985.26	7,694.74

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएँ (जारी)

पृष्ठ 64 का पृष्ठ

तालिका 'क'
अनुसूची आरिखाना

	समाप्त पर कुल स्तंभिक				मूल्य ह्रास				शुद्ध स्तंभिक		
	समाप्त 31 मार्च, 2010	जमा/समाप्तोत्पन्न	कटौती/समाप्तोत्पन्न	पचास 31 मार्च, 2011 कुल	पचास 31 मार्च, 2010	वर्द्धता/समाप्तोत्पन्न	1.4.10 से 31.3.2011 तक समाप्त पर ह्रास	1.4.10 से 31.3.11 तक पुनर्व्ययोजित समाप्त पर ह्रास	पचास 31 मार्च, 2011	पचास 31 मार्च, 2010	पचास 31 मार्च, 2011
अभिव्यक्ति (पृष्ठ 67)	381.29	0.00	69.90	111.39	104.03	22.78	1.39	1.39	82.64	28.75	77.26
अभिव्यक्ति (पृष्ठ 68)	1490.35	0.00	0.00	1490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1490.35	1490.35
पहल	1062.52	0.00	0.00	1062.52	499.28	0.00	5.60	38.22	536.50	536.02	564.24
क्यापिलेस (पृष्ठ 67 पर)	48.29	0.00	0.00	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	48.29	0.00	0.00
आवृत्तित काले कर्मा	10331.72	0.00	349.50	10202.22	4869.09	70.81	92.00	274.15	5072.42	5129.79	5482.63
पहल सुलभ	436.76	0.00	426.76	0.00	417.07	417.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
पहलिके एक सुलभ	1461.47	0.00	1121.89	339.48	1120.14	839.11	5.88	5.88	286.90	52.57	341.33
आवृत्तित काले कर्मा	3633.66	0.14	2987.59	646.21	2623.28	2558.68	0.49	0.49	65.08	1.12	30.38
पहलिके एक सुलभ	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनुसूची	958.97	0.00	0.00	958.97	944.95	0.00	4.67	4.67	949.62	9.35	14.02
	18615.05	0.14	4355.76	14279.43	10625.15	3908.48	110.03	314.80	7031.45	7247.95	8009.87
पहलिके एक सुलभ	52.14	0.00	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.14	52.14
कुल	18687.19	0.14	4355.76	14331.57	10625.15	3908.48	110.03	314.80	7031.45	7300.09	8062.01

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रुपए लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉण्ड		
	31.03.2011	31.03.2010	
विकास प्रारक्षित निधि की आस्तियां			
इक्विटी शेयर/अधिमान शेयर	145,310.30	145,488.31	
डिबेंचर एवं बॉण्ड	37.05	37.05	
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	48,950.86	48,950.86	
बैंक के पास जमा राशियां	158,500.00	133,000.00	
अन्य जमा राशियां	21,080.51	43,929.29	
भारत सरकार के विशेष बॉण्ड	300.00	300.00	
लागत पर निवेश	उपयोग (क)	374,178.72	371,705.51
चालू आस्तियां			
विविध देनदार	117,113.05	184,746.59	
बकाया और प्रोद्भूत आय	6,117.46	3,992.81	
शेयर/डिबेंचर आवेदन राशि	-	-	
बैंक शेष	45.84	57.87	
निवेश की विक्री संविदाएं	-	-	
उपयोग (ख)	123,276.35	188,797.27	
विकास प्रारक्षित निधि की आस्तियां कुल योग पी = क + ख	497,455.07	560,502.78	
तालिका 'अ' (जारी)			
डीआरएफ के अंतर्गत माघन उपरांत योजनाओं की आस्तियां			
भोचन उपरांत निधि			
इक्विटी शेयर	34,290.48	34,290.48	
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	13,714.01	13,714.01	
बैंक के पास जमा राशियां	-	-	
अन्य जमा राशियां	4,541.55	5,677.81	
लागत पर निवेश	उप योग (अ)	52,546.04	53,682.30
चालू आस्तियां			
विविध देनदार	31,230.99	22,906.58	
बकाया और प्रोद्भूत आय	-	-	
उप योग (आ)	31,230.99	22,906.58	
डीआरएफ के अंतर्गत भोचन उपरांत योजनाओं की आस्तियां कुल योग = अ + आ	83,777.03	76,588.88	
विकास प्रारक्षित निधि की कुल आस्तियां आर = पी + ख + अ + आ	581,232.10	637,091.66	
तालिका 'ट'			
अन्य निधियों की आस्तियां			
(क) कर्मचारी कल्याण निधि (एसडब्ल्यूएफ) की आस्तियां			
केंद्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमाणपत्र			
इक्विटी शेयर	500.00	500.00	
डिबेंचर एवं बॉण्ड	-	-	
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	3,939.77	3,939.77	
अन्य जमा राशियां/बैंक के साथ जमा राशियां	2,609.75	3,890.55	
लागत पर निवेश	उप योग (अ)	7,049.52	8,330.32
चालू आस्तियां			
बकाया एवं प्रोद्भूत आय			
विविध देनदार	17,823.86	15,436.33	
उप योग (आ)	17,823.86	15,436.33	
योग क = (अ + आ)	24,873.38	23,766.65	
(ख) आस्ति पुनर्संरचना फंड की आस्तियां (एआरएफ)			
डिबेंचर एवं बॉण्ड	820.86	5,397.66	
इक्विटी शेयर	254.10	20.67	
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	23,124.40	23,124.40	
सावधि ऋण	447.45	840.01	
अन्य जमा राशियां/बैंक के साथ जमा राशियां	8,866.42	12,807.48	
लागत पर निवेश	उप योग (अ)	33,533.23	42,190.22
चालू आस्तियां			
बकाया एवं प्रोद्भूत आय	6,637.67	7,812.75	
विविध देनदार	154,650.51	160,588.27	
उप योग (आ)	161,288.18	168,401.02	
योग ख = (अ + आ)	194,821.41	210,591.24	
अन्य फंडों की आस्तियां (क + ख)	219,694.79	234,357.89	

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
31 मार्च, 2011 का तुलन पत्र

रुपए लाख में

	एशएस बॉण्ड		डीआईपी 91		एसआईपी 96 (IV)	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
देयताएं						
पूजी.....'क'						
प्राक्षित निधि एवं अधिशेष.....'ख'	(119,956.54)	(126,089.20)	2,549.94	2,419.56	568.86	4,617.61
चालू देयताएं और प्रावधान.....'ग'	226,444.64	246,732.79	949.40	1,065.83	1,575.66	2,781.82
कुल देयताएं	106,488.10	120,643.60	3,499.34	3,485.39	2,144.52	7,399.43
आस्तियाँ						
निवेश.....'घ'	101,031.59	111,840.90	0.01	0.01		
जमा राशियाँ.....'ङ'			368.15	577.24	239.37	1,133.59
चालू आस्तियाँ.....'च'	5,456.51	8,802.70	3,131.18	2,908.14	1,905.15	6,265.84
कुल आस्तियाँ	106,488.10	120,643.60	3,499.34	3,485.39	2,144.52	7,399.43

लेखा टिप्पणियाँ.....'ड'

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समर्थि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार
कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

अशोक भारतीय
भागीदार

पुर्बई
दिनांक : 03.06.2011

इन्तयानुर रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के. एन पृथ्वीराज
प्रशासक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि हेतु राजस्व लेखा

व्यय	रूप में					
	एकलक्ष संघ		द्वितीय 91		एकलक्ष 96 (IV)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय	7,400.74	2,997.79	-	-	-	-
लाभांश	(630.51)	6,370.29	164.33	505.90	25.43	193.33
व्याज	25.59	811.91	-	5.80	-	98.06
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ	-	-	-	(451.97)	-	-
अन्य आय	-	415.75	-	-	-	-
पिछली अवधि के समावोजन - आय	-	0.91	-	44.62	155.96	-
पिछले वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	-	184.62	-	381.16	1,387.50	28.55
संदिग्ध निवेशों एवं जमाशायियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित	-	-	-	-	-	0.03
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित	-	-	-	-	-	-
मिलान की बकाया मदों हेतु प्रावधान, पुनरांकित	-	-	-	-	-	-
उप योग (क)	6,765.82	10,781.27	164.33	485.51	1,568.89	319.97
घटाएं: संदिग्ध संपत्ती गई आय के लिए प्रावधान	29.87	5.66	-	-	38.99	-
घटाएं: संदिग्ध निवेशों एवं जमाशायियों के प्रति प्रावधान	-	28.74	-	6.68	-	-
जोड़ें/मिलान की बकाया मदों हेतु प्रावधान	-	-	-	70.74	-	58.62
उप योग (ख)	29.87	44.40	-	77.42	38.99	58.62
योग (क-ख)	6,765.95	10,736.87	164.33	408.09	1,529.90	261.35
व्यय	-	-	-	-	-	-
लाभांश वितरण	66.00	328.12	1.48	0.92	59.78	2.05
कार्यालय व्यय	129.74	126.17	0.70	1.87	18.57	15.95
अभिरक्षा, जिस्टार और बैंक प्रभार	1.57	1.22	0.02	0.02	0.01	0.03
लेखा परीक्षकों की फीस	78.93	133.78	7.36	9.44	7.47	18.42
एएमसी फीस	15.14	-	0.39	(10.08)	0.42	0.85
पिछली अवधि के व्यय	291.38	589.29	9.95	2.17	86.25	37.30
जोड़ें: अंतर योजना कारोबार के निवेशों की बिक्री पर हानि	-	-	-	-	-	-
जोड़ें: अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर हानि	341.91	8,580.64	-	380.52	1,211.81	2.89
उप योग (ख)	341.91	8,580.64	-	380.52	1,211.81	2.89
योग (क) + (ख)	633.29	9,169.93	9.95	382.69	1,298.06	40.19
व्यय से आय की अधिकता	6,132.66	1,566.94	154.38	25.40	231.84	221.16
योग	6,765.95	10,736.87	164.33	408.09	1,529.90	261.35

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि हेतु राजस्व विनियोजन लेखा

रुपए लाख में

	एआरएस बॉण्ड		डीआरपी 91		एमआरपी 96 (IV)	
	जानू वर्ष	पिछला वर्ष	जानू वर्ष	पिछला वर्ष	जानू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा						
व्यय से आय की अधिकता	6,132.66	1,566.94	154.38	25.40	231.84	221.16
योग	6,132.66	1,566.94	154.38	25.40	231.84	221.16
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष						
वर्ष हेतु आय वितरण	6,132.66	1,566.94	154.38	25.40	231.84	221.16
योग	6,132.66	1,566.94	154.38	25.40	231.84	221.16

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार
कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

अशोक भारतीय
भागीदार

मुंबई
दिनांक : 03.06.2011

इमत्याजुर रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के. एन पृथ्वीराज
प्रशासक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

	रुपए लाख में					
	एआरएस बॉण्ड		डीआईपी 91		एमआईपी 96 (IV)	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
तालिका 'क' पूँजी बॉण्ड पूँजी						
योग						
तालिका 'ख' प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष सामान्य प्रारक्षित निधि पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष जोड़ें: विलीयत योजनाओं के सामान्य प्रारक्षित निधि का अंतरण जोड़ें: राबस्व लेख से अंतरित शेष जोड़ें: बिक्री/पुनर्खरीद/मोचन पर प्रीमियम	(126,089.20)	(127,271.88)	2,419.56	2,395.62	-4,617.61	4,399.07
	6,132.66	1,566.94	154.38	25.40	231.84	221.16
		(384.26)	(24.00)	(1.46)	(4,280.59)	(2.62)
योग	(119,956.54)	(126,089.20)	2,549.94	2,419.56	568.86	4,617.61
तालिका 'ग' छालू देयताएं और प्रावधान छालू देयताएं विविध सेनवार अवली आय/ब्याज का वितरण	137,662.57	136,395.89		0.11	3.23	3.57
	87,627.92	109,212.25	414.40	530.73	1,549.24	1,250.58
उप योग (क)	225,290.49	245,608.14	414.40	530.84	1,552.47	1,254.15
प्रावधान संरिष आय हेतु प्रावधान संरिष निवेशों एवं जमारशिया हेतु प्रावधान निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान आय वितरण हेतु प्रावधान	82.17	52.30	4.02	4.02		116.97
	1,017.59	1,017.59	530.97	530.97	23.19	1,410.69
	54.39	54.39	0.01	0.01		
		0.37				
उप योग (ख)	1,154.15	1,124.65	535.00	535.00	23.19	1,527.66
योग(क+ख)	226,444.64	246,732.79	949.40	1,065.84	1,575.66	2,781.81

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

	रूप लाख में					
	एक्सएएस बॉण्ड		डीआईपी 91		एक्सआईपी 96 (IV)	
	31-03-2011	31-03-2010	31-03-2011	31-03-2010	31-03-2011	31-03-2010
तालिका 'घ'						
निवेश						
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)						
केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमाणपत्र	33,183.43	33,183.43	-	-	-	-
डिबेंचर एवं बॉण्ड	5,712.14	16,275.93	-	-	-	-
अधिमाम शेयर	200.00	200.00	-	-	-	-
इक्विटी शेयर	45,869.80	46,115.32	0.01	0.01	-	-
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	16,066.22	16,066.22	-	-	-	-
योग	101,031.59	111,840.90	0.01	0.01	-	-
उद्भूत (लागत पर)	42,876.29	41,877.32	-	-	-	-
अनोद्भूत (लागत पर)	58,155.30	69,963.57	0.01	0.01	-	-
उद्भूत (बाजार मूल्य)	101,031.59	111,840.89	0.01	0.01	-	-
अनोद्भूत (मूल्यांकन पर)	322,526.71	252,098.12	-	-	-	-
	57,519.38	66,976.96	-	-	-	-
	380,046.89	319,875.08	-	-	-	-
	279,014.80	287,234.19	(0.01)	(0.01)	-	-
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/(मूल्यह्रास) (ख-क)						
तालिका 'ङ'						
जमा राशियां						
बैंक में जमा राशियां	-	-	-	-	-	-
अन्य जमा राशियां	-	-	368.15	577.24	239.37	1,133.59
योग	-	-	368.15	577.24	239.37	1,133.59
तालिका 'च'						
चालू आस्तियां						
बैंकों में चालू खाता शेष	3,520.61	6,550.39	2.68	3.70	7.00	0.39
विभिन्न देनदार	1,272.54	1,349.49	3,045.59	2,821.53	1,658.04	5,908.37
निवेशों की बिक्री-संविदाएं	-	-	-	-	-	-
बकाया और प्रोद्भूत आय	663.36	902.82	82.91	82.91	240.11	357.08
योग	5,456.51	8,802.70	3,131.18	2,908.14	1,905.15	6,265.84

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

तालिका "ड"

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 " के जरिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी 2003 की अपनी अधिसूचना के जरिए 01 फरवरी 2003 को "नियत तिथि " के रूप में अधिसूचित किया था। ये वित्तीय विवरण, उक्त निरसन अधिनियम के अनुसरण में, एसयूयूटीआई हेतु बनाए गए हैं।
 2. भारत सरकार ने यू एस 64 के विनिर्दिष्ट आश्वासित मूल्य पर सीमित पुनर्खरीद सुविधा तथा आश्वासित आय वाली योजनाओं हेतु वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) तथा प्रचलित पुनर्खरीद/आश्वासित मूल्य के अंतर हेतु मुआवजा सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। इस कमी को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि के अंतर्गत " भारत सरकार के विशेष पैकेज से निधियों का आगमन " के रूप में हिसाब में लिया गया है और न्यून राशि के रूप में प्राप्त अग्रिम राशि को यूएस 64 के मामले में "विविध लेनदार" के रूप में तथा अन्य योजनाओं हेतु न्यून राशि को "सामान्य प्रारक्षित " के अंतर्गत दर्शाते हुए डीआरएफ में रखा गया है जिसमें सरकार से प्राप्त सभी अनुदान को "भारत सरकार से प्राप्त अनुदान" के रूप में लेखों में लिया गया है।
 3. विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त रु. 2.31 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 2.93 करोड़) की आवेदन राशि एवं सीजीजीएफ 86 के परिपक्व मामलों के तहत रु. 31.46 करोड़ की राशि बकाया है।
 4. क. रु. 15.76 करोड़ (पिछले वर्ष में 15.80 करोड़) की लागत के असूचीबद्ध/ निष्क्रिय अधिमान शेयरों का मूल्यांकन शून्य पर किया गया है क्योंकि "मूल्यांकन समिति" के मतानुसार उक्त अधिमान शेयरों का अवशिष्ट मूल्य नगण्य है।
- ख. अभिरक्षक(एसएचसीआईएल) के साथ हमारी लेखा-बहियों का मिलान करने पर निम्नलिखित अंतर का पता चला है:-
- i) इक्विटी शेयरों में रु. 7.66 करोड़ (लागत) जिसमें से रु. 0.24 करोड़ के अतिरिक्त शेयर जो अभिरक्षक के पास उपस्थित हैं को कंपनी/प्रायोजक को वापस करना है तथा रु. 7.42 करोड़ की इक्विटी शेयरों की बिक्री हमारे द्वारा बहियों में दिखाई गई है परंतु जिसे अभिरक्षकों ने जारी नहीं किया है।
 - ii) अधिमान शेयरों में रु. 0.05 करोड़ (लागत), जिसके संबंध में कंपनियां जवाब नहीं दे रही हैं/जो नकदी की स्थिति में हैं।

- iii) ऋण पत्रों और बॉण्डों के अंकित मूल्य में रु. 232.87 करोड़ का अंतर है। इसमें से रु. 155.85 करोड़ की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई की गई है तथा रु. 20.55 करोड़ की चुकौती हेतु कंपनी द्वारा पुष्टि/पत्र उपलब्ध है। साथ ही, रु. 33.53 करोड़ हेतु पुनर्संरचना के पश्चात् कंपनी ने जमानत जारी नहीं की है। रु. 22.94 करोड़ के अन्य अंतर, मोचन राशि के प्राप्त न होने, मोचन राशि को बहियों में बाद में लेखे में लिए जाने अथवा कंपनियों के रुग्ण/परिसमाप्त इत्यादि होने के कारण है।
5. निवेश में निम्नलिखित शामिल हैं:
- i) रु.0.057 करोड़ मूल्य वाले शेयर (पिछले वर्ष रु.0.057 करोड़) जो कि विशेष न्यायालय (अपकृत्य) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत नियुक्त अभिरक्षक द्वारा अधिसूचित हैं। हालांकि, ट्रस्ट द्वारा इन शेयरों के हस्तांतरण हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है किन्तु मामला अभी भी स्टॉक एक्सचेंज/अभिरक्षक के कार्यालय में लंबित है; यद्यपि, इन सभी मामलों के लिए मुंबई की विशेष अदालत में अर्जी दायर की गई है।
- ii) पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 19 की उप धारा (3) के अंतर्गत समय-समय पर दिए गए गैर-जमानती अग्रिम ;
- iii) इक्विटी एवं ऋण जहां कंपनियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया में हैं;
- iv) ऋणों में निवेश, जिनके संदर्भ में प्रतिभूति निर्माण किए जाने की प्रक्रिया में है।
6. कंपनियां, जिसकी अधिकांश धारिताएं एसयूटीआई के पास है, निम्नानुसार हैं।

कंपनी का नाम	एसयूटीआई धारिता %
यूटीआई इनवेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लि.	89.33%
एक्सिस बैंक लि.	23.68%
यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलोजी एण्ड सर्विसेज लि.	100%

7. एसयूटीआई की संपत्ति के प्रबंधन एवं रख-रखाव संबंधी कार्य एवं तत्संबंधी मामलों को यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलोजी एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (कंपनी) को ठेके पर (आउटसोर्स) दे दिया गया है जो कि एसयूटीआई की 100% अनुषंगी कंपनी है। इस कंपनी द्वारा कार्य की व्यापकता एवं तत्संबंधी सेवाओं के संबंध में एसयूटीआई के साथ औपचारिक तौर पर करार किया जाना बाकी है।

- क. एसयूयूटीआई के स्वामित्व/अधिकार के अंतर्गत आनेवाली विभिन्न संपत्तियों के प्रलेखीकरण संबंधी औपचारिकताएं को पूरा किया जा रहा है क्योंकि बिक्री एक निरंतर प्रक्रिया है।
- ख. एसयूयूटीआई ने विभिन्न कंपनियों को पट्टे पर सम्पत्तियां दी हैं, हालांकि, पट्टेदार को औपचारिक तौर पर किए जाने वाले करार भेजे जा चुके हैं परंतु करार किए जाने अभी भी बाकी हैं।
- ग. वर्ष के दौरान एसयूयूटीआई ने विभिन्न संपत्तियों की बिक्री की, कुछ मामलों में संपत्तियों के हस्तांतरण/बिक्री के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी भी पूरी की जानी हैं क्योंकि बिक्री एक निरंतर प्रक्रिया है।
४. उपभोक्ता अदालत में लंबित रु. 1.42 करोड़ के मामलों के लिए आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है।
९. आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

इमोघातुन रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के.एन.पृथ्वीराज
प्रशासक

कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

अशोक भारतीय
भागीदार

मुंबई
दिनांक : 03.06.2011

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रशासक,
भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई)
मुंबई

हमने यथा 31 मार्च, 2011, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) की 2 योजनाएं अर्थात् उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1989 (वीईसीएयूएस I), उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1991 (वीईसीएयूएस III), के संलग्न तुलन पत्र एवं साथ ही संलग्न संबंधित राजस्व लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व प्रबंधन पर है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा संपन्न लेखापरीक्षा के आधार पर, इन विवरणियों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन, भारत के सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसका कार्यनिष्पादन करें ताकि हमें उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये वित्तीय विवरण भौतिक गलतियों से परे हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि के समर्थन में साक्ष्य एवं प्रकटन की जाँच की जाती है। लेखापरीक्षा में, प्रयोग में लाई गई लेखा संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण

प्राक्कलन का मूल्यांकन किया जाता है और साथ ही समस्त विस्तृत विवरणियों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा संचालित लेखापरीक्षा से हमारे विचारों को एक समुचित आधार प्राप्त होता है।

यहाँ दर्शाई गई लेखापरीक्षा के आधार पर एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 के आवश्यकतानुसार और प्रकटन हेतु आवश्यक परिसीमा के अनुरूप हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के जरिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी 2003 की अपनी अधिसूचना के जरिए 01 फरवरी 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था।

उपरोक्त उल्लिखित हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;
- ख) तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखे लेखा बहियों के समनुरूप हैं।
- ग) हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और अनुसूची 'ज' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर:
 - i) उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं और "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम के हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002", के अंतर्गत बनाए गए हैं ताकि यथा 31 मार्च, 2011 योजनाओं की सच्ची और साफ स्थिति को दर्शाया जा सके।
 - ii) योजनाओं के उक्त राजस्व लेखे, वीड्सीएयूएस-I एवं वीड्सीएयूएस-II के मामले में उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लिए हुई आय की व्यय से अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं।

कृते अशोक भारतीय एवं कं.,
सनदी लेखाकार

(अशोक भारतीय)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 29/08/2011

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम

उद्यम पूंजी यूनिट योजना

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. प्रस्तुतीकरण का आधार :

लेखा निवेशों के पुनर्मूल्यांकन के लिए औचित्य के अनुसार यथा समायोजित पूर्ववर्ती लागत परम्परा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। जहाँ अन्यथा बताया गया है, उसे छोड़कर उपचय लेखा पद्धति का पालन किया गया है।

2. आय निर्धारण :

क) लाभांश का निर्धारण उद्धृत होने वाली कंपनियों के संबंध में लाभांश रहित तारीखों और अनोद्धृत रहने वाली कंपनियों के संबंध में शेयर धारकों के संकल्प की संबंधित तारीखों के आधार पर किया जाता है। अधिमानी शेयरों के लाभांश का निर्धारण प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

ख) जहाँ वसूली पर संदेह है, उसे छोड़कर ब्याज का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है। गैर उपचयी स्थिति में रखे गए ऋणों के राजस्व का निर्धारण तब पुनः किया जा सकता है और उच्चत आय का निर्धारण किया जा सकता है जब निवेश संविदा आधार पर चालू बन जाते हैं या उच्चत आय का संग्रहण सुनिश्चित हो जाता है। ऋणों के पूर्व भुगतानों पर प्रीमियम का आय के रूप में निर्धारण उसके प्राप्त होने पर किया जाता है।

ग) निवेशों पर प्राप्त हुए लाभ और हानि (स्थाई नुकसान सहित) का हिसाब राजस्व लेखे में किया जाता है। बेचे गए दीर्घावधि निवेशों की लागत का निर्धारण औसत आधार पर बिक्री के लाभ-हानि की गणना के उद्देश्य से किया जाता है। बेचे गए अल्पावधि निवेशों की लागत का निर्धारण, पहले आए पहले गए (फीफो) के आधार पर बिक्री के लाभ-हानि की गणना के उद्देश्य से किया जाता है।

घ) निधि प्रबंधक द्वारा संदिग्ध समझे जाने वाले निवेशों पर उपचित आय के संबंध में प्रावधान किए जाते हैं। ऐसे प्रावधानों और इसके बाद की वसूलियों का हिसाब राजस्व लेखे के जरिए किया जाता है।

ङ) मूल्यांकन शुल्क को उपचय आधार पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है। ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क का निर्धारण प्रथम संवितरण वर्ष में राजस्व लेखे के रूप में किया जाता है तथा निवेशों की लागत के एक अंश की वसूली के रूप में इसे प्रतिबिंबित किया जाता है।

3. व्यय :

सभी व्ययों का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

4. अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि :

अप्राप्त लाभ एवं अस्थाई हानि का निर्धारण निवेशकों की इक्विटी के घटक के रूप में किया जाता है और इनका हिसाब अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि के अंतर्गत किया जाता है।

5. अल्पावधि निवेश :

म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश, जो कि बिक्री हेतु उपलब्ध है, यथा तुलन पत्र तिथि, शुद्ध आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं। प्राप्त लाभ/ हानियाँ, राजस्व लेखे को ले जाए गए हैं तथा इन निवेशों से अप्राप्त लाभ को आरक्षित एवं अधिशेष खाता में लिया जाता है।

6. निवेश

- क) निवेशों को निधि प्रबंधक द्वारा निर्धारित वर्गवार उनके कुल उचित मूल्य के अनुसार बताया जाता है।
- ख) निवेशों का उचित मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :
- i) उद्धृत निवेशों का मूल्यांकन अंतिम बाजार मूल्य पर मूल्यांकन तिथि को किया जाता है। उद्धृत निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को नहीं अपितु मूल्यांकन तिथि से दो महीने पहले किए जाने पर, नवीनतम अंतिम मूल्य पर उन्हें मूल्यांकित किया जाता है। जहां निधि प्रबंधक, निपटान पर प्रतिबंधों अथवा उनकी नकदीहीनता को प्रदर्शित करना आवश्यक समझता है, वहां उचित बट्टा लगाया जाता है। उद्धृत निवेश जिनका मूल्यांकन के दो महीने पहले तक व्यापार न हुआ हो, उन्हें अनोद्धृत माना जाता है।
- (ii) अनोद्धृत इक्विटी निवेश, जिनके संबंध में तृतीय पक्षकार लेनदेन बिल्कुल करीब हुए हों या जिनकी शर्तों पर सहमति हो गई हो, उनके मूल्यों का निर्धारण ऐसे लेनदेनों में से बट्टा काट कर किया जाता है, जहां लागू हो, ताकि उनकी नकदीहीनता प्रतिबिंबित हो सके।
- ऐसे तृतीय पक्षकार लेनदेनों के न होने की स्थिति में :
- प्रवर्तित अथवा विकसित हो रही कंपनियों में इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया लागत पर आंका जाता है, यदि निधि प्रबंधक की राय में मूल्य में हास हो तो निवेश उसके अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर, मूल्यह्रासित किया जाता है।
 - लाभकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया एक स्तर पर प्राप्त की जाने वाली आमदनी पर आधारित कीमत कमाई में से बट्टा घटाकर निकाला जाएगा ताकि उनकी नकदीहीनता प्रतिबिंबित हो सके।
 - अन्य कंपनियों में, इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया लागत पर आंका जाता है। यदि निधि प्रबंधक की राय में, ऐसे किसी निवेश के मूल्य में हास है, तो निवेश उसके अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यह्रासित किया जाता है।
 - तुलन-पत्र से संबंधित वृत्तांत, जिसमें उचित कीमत-कमाई गुणकों के आवेदन-पत्र भी शामिल हैं, को ध्यान में रखा गया है एवं यथा 31 मार्च, 2011 तक अनोद्धृत निवेश के उचित मूल्य के मूल्यांकन हेतु तैयार किए गए विवरण के दिनांक तक उसका हिसाब किया गया है।
- (iii) निवेश, जो कि तुलन पत्र की तारीख के अनुरूप सूचीबद्ध हैं और जिन्हें पिछली अवधियों के दौरान बहियों में पूर्णतः बट्टे खाते में डाल दिया गया है को अवलिखित मूल्य पर रखा जाएगा। लाभ, यदि हो, तो उसकी पहचान निवेश की बिक्री के दौरान की जाएगी।
- (iv) सामान्य ऋण, तात्कालिक ऋण, सशर्त ऋण और परिवर्तनीय ऋण सामान्यतः बकाया मूलधन के रूप में लिए जाते हैं और निधि प्रबंधक की राय में जहां मूल्य में कमी हो, मूल्य घटाकर लिखे जाते हैं।
- (v) डिबेंचर या तो लागत पर अथवा अंतर्निहित इक्विटी शेयरों के लिए अपनाए गए आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
31 मार्च, 2011 का तुलन में

रुपए लाख में

	बीईसीएयूस I		बीईसीएयूस III	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
आस्तियां				
निवेश.....				
'क'.....	411.55	385.99	1,556.76	
जमा राशियां.....	0.55	0.88	7.89	7.86
अन्य बालू आस्तियां.....	4.87	3.65	803.05	780.15
	योग	416.97	2,367.70	788.01
घटाएं: बालू देयताएं एवं प्रावधान'.....	3.86	2.29	1,797.92	1,864.74
	योग	388.23	569.78	(1,076.73)
प्रतिनिरूपित				
देयताएं				
पूजा.....				
प्रारक्षित निधि और अधिशेष.....	373.54	364.94	569.78	(1,076.73)
अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि.....	39.57	23.29		
	योग	413.11	569.78	(1,076.73)

लेखा टिप्पणियां.....
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समीक्षि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार
कुत अशाक भारतीय एव कंपनी
संनदी लेखाकार

अशोक भारतीय
भागीदार

मुंबई
दिनांक 03.06.2011

सुमयाजुर रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के. एन पृथ्वीराज
प्रशासक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि हेतु राजस्व लेखा

रुपए लाख में

	बीईसीएएस I		बीईसीएएस III	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय				
लाभंश	1.51	-	21.75	18.75
व्याज	9.55	10.34	2.79	10.61
निवेश की बिक्री पर लाभ	-	-	-	61.88
पिछले वर्ष की संविद्य आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	-	-	5.00	-
संविद्य निवेश एवं जमादारियों के लिए किया गया प्रावधान - पुनरांकित	-	-	-	153.39
निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान, पुनरांकित	-	-	1,560.92	-
पिछली अवधि के समायोजन	-	-	58.14	-
उप योग (क)	11.06	10.34	1,648.60	244.63
घटाएँ : निवेश हानियाँ				
घटाएँ : संविद्य समझी गई आय के लिए प्रावधान	-	-	1.66	79.32
घटाएँ : निवेश के मूल्य में हास हेतु प्रावधान	-	-	-	-
उप योग (ख)				
योग (क-ख)	11.06	10.34	1,646.94	90.53
व्यय				
प्रबंधन/कार्यनिष्पादन शुल्क	-	-	-	-
वित्तिक एवं व्यवसायिक प्रभार	0.55	0.55	-	-
अन्य व्यय	1.91	0.76	0.43	0.46
पिछली अवधि के समायोजन	-	0.85	-	0.84
	2.46	2.16	0.43	1.30
व्यय से अधिक आय की अधिकता	8.60	8.18	1,646.51	89.23
योग	11.06	10.34	1,646.94	90.53

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि हेतु राजस्व लेखा (जारी).....

रुपए लाख में

	बीईसीएएल I		बीईसीएएल III	
	जानू वर्ष	दिसम्बर वर्ष	जानू वर्ष	दिसम्बर वर्ष
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	364.94	356.76	(1,076.73)	(1,165.96)
राजस्व लेख से अंतरित शेष	8.60	8.18	1,646.51	89.23
योग	373.54	364.94	569.78	(1,076.73)
मोचन पर प्रदत्त प्रीमियम				
तुलन - पत्र में ले जाया गया शेष	373.54	364.94	569.78	(1,076.73)
योग	373.54	364.94	569.78	(1,076.73)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अधिन्न भाग है।

हमारे समतिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार
कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

अशोक भारतीय
भागीदार

मुंबई
दिनांक 03.06.2011

इन्दयाजुर रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के. एन पृथ्वीराज
प्रशासक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

रुपए लाख में

	वर्षोत्पन्न I			वर्षोत्पन्न III	
	31.03.2011	31.03.2010		31.03.2011	31.03.2010
तालिका 'क'					
मूल्यांकन पर निवेश					
इक्विटी शेयर			1,556.76		
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	411.55	385.99			
	411.55	385.99	1,556.76		
लागत पर निवेश					
उद्भूत					292.50
इक्विटी शेयर			288.34		
अनोद्भूत					
इक्विटी शेयर			2,143.94		2,143.94
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	371.99	362.70			
	371.99	362.70	2,432.28		2,436.44
कुल योग 'क'					
उद्भूत (बाजार मूल्य)	411.55	385.99	33.81		
अनोद्भूत (मूल्यांकन पर)			1,522.95		
	411.55	385.99	1,556.76		
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/(मूल्यह्रास)					
योग (ख-क)	39.56	23.29	(875.52)		(2,436.44)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

	वर्ष 2010-11 में			वर्ष 2009-10 में	
	वर्ष 2010-11		31.03.2010	वर्ष 2009-10	
	31.03.2011	31.03.2011		31.03.2010	31.03.2010
तालिका 'ख' जमा राशियां अन्य जमा राशियां	योग				
		0.55	0.88	7.89	7.86
तालिका 'ग' अन्य चालू आस्तियां बैंकों में चालू खाता शेष विविध देनदार बकाया और प्रोच्युत आय	योग				
		1.14	0.18	1.10	1.10
तालिका 'घ' चालू देयताएं एवं प्रावधान चालू देयताएं विविध लेनदार अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	योग				
		4.87	3.65	803.05	780.15
प्रावधान संदिग्ध निवेशों हेतु प्रावधान संदिग्ध आय हेतु प्रावधान	उप योग (क)				
		3.86	2.29	1,050.02	1,116.84
तालिका 'ङ' यूनिट पूंजी प्रारंभिक शेष घटाएं: वर्ष के दौरान मोचित	उप योग (ख)				
	योग (क+ख)	3.86	2.29	1,797.92	1,864.74
योग					

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

	वर्ष 2010-11		वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11	वर्ष 2009-10
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010		
तालिका 'ख' प्रारक्षित निधि और अधिशेष राजस्व विनियोजन लेखा लेखों के अनुसार शेष	373.54	364.94	569.78	569.78	(1,076.73)	(1,076.73)
तालिका 'घ' अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि पिछले तुलन पत्र के अनुसार प्राप्त अभिलाम अवधि के दौरान मूल्यवृद्धि/(मूल्यह्रास)	373.54	364.94	569.78	569.78	(1,076.73)	(1,076.73)
योग	39.57	23.29	-	-	-	-

रुपए लाख में

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम
उद्यम पूंजी यूनिट योजना**

तालिका " ज "

31 मार्च, 2011 को समाप्त अवधि के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के जरिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी, 2003 की अपनी अधिसूचना के जरिए 1 फरवरी, 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था।
2. वीईसीएयूएस योजना के अंतर्गत निवेश धारण संयुक्त रूप से या तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) एवं आईसीआईसीआई उद्यम पूंजी प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के साथ रखे जाते हैं या एकल रूप से भारतीय यूनिट ट्रस्ट के नाम पर रखे जाते हैं।
3. वीईसीएयूएस -I योजना 1994 में प्रारंभ हुई थी। योजना को अक्टूबर, 2004 में समाप्त/बंद हो जाना था। हालांकि योजना को बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई है एवं इस योजना को अभी तक बंद नहीं किया गया है।
4. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हो पुनः समूहित/पुनःवर्गीकृत कर दिया गया है।

**इम्तेयाज़ुर रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी**

**कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी
सनदी लेखाकार**

**अशोक भारतीय
भ्रागीदार**

के. एन. पृथ्वीराज, प्रशासक
[विज्ञापन III/4/41/11/असा.]

**मुंबई
दिनांक : 03.06.2011**

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
NOTIFICATION

Mumbai, the 30th November, 2011

Reference : UT/222/DOFA/SUUTI-Gazette/2011-2012.—The Balance Sheets and Revenue Accounts together with Auditors Report for various schemes of Administrator of the Specified Undertaking of the Unit Trust of India for the year ended 31st March, 2011 are published in terms of Section 21(4) of the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002.

AUDITORS' REPORT

The Administrator,
Specified Undertaking of
Unit Trust of India (SUUTI),
Mumbai

We have audited the attached Balance Sheets of Schemes/Funds, i.e. 1. US 64 Bonds, 2. ARS Bonds, 3. DIP 91, and 4. MIP 96 IV, of Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) as on 31st March 2011 and also the related Revenue Accounts for the year ended on that date, annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the management and have been prepared by the management, which are centralized at the corporate office, Mumbai, on the basis of financial data/information of various branches and main offices (including those of the erstwhile UTI, since converted into UTI Financial Centers). Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Ashok Bhartia & Company
Chartered Accountants

On the basis of the audit indicated herein, and as required by The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002, and subject to the limitations of disclosure required therein and subject to our observations referred in annexure attached hereto and Notes to account referred in Schedule 'M', we report that;

- a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b. The Balance Sheet and related Revenue Accounts are in agreement with the books of account.
- c. In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes as per Schedule 'M' and the statement of significant accounting policies:
 - i. the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002 so as to exhibit a true and fair view of affairs of the various Schemes/funds of SUUTI as on 31st March 2011.
 - ii. the said Revenue Accounts of the Schemes / Funds i.e. 1. US 64 Bonds, 2. ARS Bonds, 3. DIP 91, and 4. MIP 96 IV show true and fair view of the Excess of Income over Expenditure .

FOR ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants


[Ashok Bhartia]



Place : Mumbai

Dated : 29.08.2011

Ashok Bhartia & Company
Chartered Accountants

AUDITORS REPORT

(annexure, to & forming part of said Report)

1. The Unit Trust of India Act, 1963 was repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and repeal) Act 2002. In exercise of the powers conferred under the Act, the Central Government, vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed Day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz. Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. The accounts of SUUTI, therefore, relating to the above mentioned Schemes/Funds have been drawn up pursuant to the said Repeal Act.
2. Investments in Debentures and Bonds including term loans (relating to debt portfolio) include cases sanctioned in earlier years, although the stipulated period has since been elapsed but complete security were not created so far as the matters / companies are under Recovery/BIFR /Liquidation, therefore, the debt portfolio cannot be commented.
3. SUUTI has been selling various properties by giving advertisements in the different newspapers through UTI Infrastructure technology and Service Limited. In our opinion, considering the current market conditions, the policy needs to be revisited, to expedite the selling process, comply with the prescribed guidelines for selling the properties and to get the best price, which may have impact on the Financial Statements and pending for review since long.

FOR ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants


[Ashok Bhartia]



Place: Mumbai
Dated: 29.08.2011

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Income Recognition:

- I. Dividend income is recognised on the following basis:
 - a. In respect of listed equity shares, dividend income is accrued on the “ex-dividend” date.
 - b. In respect of unlisted equity shares, dividend income is accrued on date of declaration.
 - c. In respect of preference shares, dividend income is accrued on the date of receipt.
- II. Interest on debenture and other fixed income investments is recognised as income on accrual basis.
- III. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.
- IV. Unit Scheme 1964 Bonds , which owns the fixed assets, recovers service charges on mutually agreed basis approved by the Board of Advisors , from UTI AMC Pvt. Ltd. for the usage of the said assets.

B. Unit Premium Reserve:

In respect of US64, where units are repurchased at a premium over the face value under the special package announced by Government of India, the premium is charged to Unit Premium Reserve. Wherever US 64 units are repurchased under the net asset value (NAV) related prices, the discount is credited to unit premium reserve.

C. Expenses:

These are accounted for on accrual basis.

D. Investments

- i. Investments are stated at cost or written down cost.

- ii. Purchase and Sale of Securities in Secondary market are accounted on trade dates.
- iii. The cost of investment includes brokerage, service tax and stamp charges
- iv. Subscription in primary market is accounted as Investments, upon allotment.
- v. Right entitlements are recognised as Investment on “ex-right” dates.
- vi. Bonus entitlements are recognised as Investment on “ex-bonus” dates.
- vii. Investments in debenture / bonds , loans and deposits are treated and disclosed as current assets from the redemption/due date.

E. Valuation for Performing Investments

I. Equity and Equity related Securities:

a. Traded Securities

When a security is traded on any stock exchange within a period of 30 days (including the valuation date) and the aggregate volume of trade during such period is more than 50,000 or if the trade value is greater than Rs.5,00,000 the security is treated as traded security. These are valued at the closing prices on BSE in absence of which closing price of NSE is taken.

b. Non traded / Thinly traded / Unlisted securities:

Investments in securities, which have not been traded on any stock exchange in the aforesaid manner, are stated at fair value.

II. Debentures , bonds, term loans and transferable notes - Debt Securities:

a. Traded Securities:

Investment in debentures and bonds are valued at the closing market rate as on the date of valuation and, in its absence, at the latest quote available during a period of fifteen days prior to the valuation date provided there is an individual trade in that security in marketable lot (presently Rs.5 Crore) on the Principal Stock Exchange or any other Stock Exchange.

b. Non-traded / Thinly traded securities:

Investment in non traded / thinly traded securities is valued as under:

i) Rated Debt Securities:**Debt securities with residual maturity of greater than 182 days:**

Investment in securities with residual maturity period of greater than 182 days are valued at Yield to Maturity (YTM) based on the matrix provided by CRISIL. The yield to maturity is marked up or down for illiquidity risk.

Debt securities with residual maturity of up to 182 days:

Investment in debt securities with residual maturity of up to 182 days are valued as on the valuation date on the basis of amortisation.

Debt security with put/call options:

Securities with call options are valued at the worst (lowest) of the call and securities with put options are valued at best (highest) of the put. Securities with both put and call options on the day are deemed to mature on the put/call day and are valued accordingly.

Fully / Partly / Optionally Fully Convertible Debentures:

i. Convertible portion of debentures, where the terms of conversion are available, is valued as equity at the closing market price or fair value applicable for, traded and thinly / non-traded equity respectively less a discount of 10% towards liquidity.

ii. Non-Convertible portion of Convertible debentures and the entire amount of convertible debentures where the terms of conversion are not available, are valued as per the norms applicable for non-convertible debentures as per para E(II)

ii) Unrated/ non investment grade Debt Securities:

Investments in unrated / non investment grade debt securities are valued at a discount of 25 percent to face value while deep discount bonds are valued at a discount of 25 percent to carrying cost.

III. Government Securities:

Investment in Government securities are valued as on the valuation date at the prices released by CRISI and ICRA an agency notified by AMFI.

IV. Unquoted warrants:

Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil and where the exercise price is not available or the underlying equity is non traded/unlisted, such warrants are valued at cost.

V. Rights entitlements:

Rights entitlements for the shares are valued at the market price of the share, reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, whenever applicable.

VI. Money Market Instruments:

Investments in Money Market Instruments are valued at cost plus accrued interest up to the valuation date.

VII. Unquoted / thinly traded Preference shares:

- i. In the absence of rating for Preference share, the ratings available for the debt instruments of a company is used for valuation.
- ii. Investment grade which are BBB – and above, are valued on Yield to Maturity (YTM) as per the rated given in CRISIL matrix / other rating agencies, with appropriate mark-up.

- iii. 'Unrated' and 'Below investment grade', preference shares are valued at a discount of 25% to the face value.
- iv. The cumulative convertible preference shares are valued as per the norms applicable for valuation of fully convertible debentures. If the details of conversion are not available, they are considered as ordinary preference shares and are valued accordingly.
- v. In case, dividend on preference is not received within 90 days, a discount of 15% is applied in the valuation. If the arrears continue for more than 1 year, the discount applied is 20%.
- vi. If the redemption value is not received within 90 days, 100% provision of the redemption receivable is made. If the redemption is in parts and proceeds are not received within 90 days, in addition to the provision for redemption receivable, the discount as given above is applied on the balance.
- vii. If there exists provision against a preference share and any other asset issued by the company is NPA such preference shares are valued at zero.

F. Depreciation and Provision:

II. Depreciation in the value of investments:

The aggregate value of investments as computed in accordance with norms above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any is charged to revenue account. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is credited to revenue account to the extent depreciation was previously adjusted.

III. Provisions for non performing asset: (NPA)

- i. Provision is made in respect of outstanding interest income of the period prior to the date on which asset is classified as non-performing (NPA). An "asset" is classified as non-performing, if the interest and/or principal amount have not

investment provision is made from the date the assets is classified as NPA.

- ii. Provision for NPA is charged to Revenue Account
- iii. Provision made as above is written back on receipt of dues, in phased manner.
- iv. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 120 days from the ex-dividend date.

G. Inter scheme transactions (ISTs):

i. **Traded equity shares:** ISTs of traded securities are effected at the intra-day (spot price) as on the IST date and in its absence, at the latest closing market price available during the last 30 days.

ii. **Non-traded/Thinly traded/unlisted equity shares:**

ISTs in respect of these securities in case of a maturing scheme (i.e., scheme maturing within a period of 45 days from the date of IST) are effected at the transfer price arrived at by the following methods:

- a) If market quote is available in any recognised stock exchange for such equity, during a period of past 90 days as on IST date, the latest such market quote, discounted by 25% for illiquidity, is considered.
- b) Unquoted equity is valued at the fair value as per the methodology approved by the erstwhile Board of Trustees. The IST of unquoted equity is done at the fair value less discount of 50%.
- c) By calling for bids from other schemes and the IST is effected at the highest bid.
- d) If no scheme is willing to take, then the security is transferred to DRF at Re.0.01 per share.

Transfer of these securities in case of a non-maturing scheme are effected at Re.0.01 to DRF per share.

iii. Debentures/bonds:

- a) ISTs of traded debentures and bonds are effected as per Policy E II (a).
 - b) ISTs of thinly traded/non-traded debentures, bonds, term loans and transferable notes are effected as per Policy E II (b).
 - c) Transfer of NPA securities to DRF are effected at Rs.1.00 per security.
- iv. ISTs of Government securities are effected as per policy E (III).
 - v. Other investments- ISTs of other investments/assets are effected at the carrying cost of such investment.
 - vi. Schemes borrowing funds, if any, internally pay interest at the approved rate.

H. Custodian:

Stock Holding Corporation of India (SHCIL) provides custodial services and their fees are accounted for on accrual basis.

I. Fixed Assets :

- i. Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation, except in respect of land, buildings, premises and building improvements which are stated at revalued cost less accumulated depreciation. In the event of revaluation, the resultant surplus on revaluation is shown as revaluation reserve. Depreciation on the appreciated amount on account of revaluation is charged to Revaluation Reserve.
- ii. Depreciation is provided on the written down value method at the under mentioned rates except on those assets held for less than six months in the accounting year, where depreciation is provided at half the said rates:-

Building and ownership premises	5%
Furniture and Fixtures	10%
Office equipments, Building Improvements, Software, Computers & Motor Vehicles	33.33%

Leasehold land and premises are amortised equally over the period of lease.

- iii. Building improvements in leased premises are depreciated at 33.33% in case the lease period exceeds eight years. However, in case the lease period does not exceed eight years, the same is amortised over the period of lease and in case the lease is not renewed within the period of eight years, the balance unamortised amount is charged in the last year of lease.
- iv. Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to use.
- v. On sale of Fixed Assets, the profit / loss arrived at after reducing the written down value of cost and appreciation of fixed asset on revaluation has been accounted in the Revenue account. The balance outstanding in revaluation reserve for assets sold has been transferred to General Reserve.

J. Reserve funds:

In accordance with the provisions of Section 25 B (1) of the erstwhile Unit Trust of India Act, 1963 the following funds had been created, which, though belonging to the ASUUTI, are accounted under the Unit Scheme 1964 Bonds as a matter of administrative convenience.

Development Reserve Fund (DRF):

A. Constitution:

The Fund was set up for developmental, research, promotional and any other activities of the Trust. The fund provides guarantee in respect of return/capital under certain schemes.

The Fund is built up by: -

- i. Contributions from

- schemes launched from 1st July, 1994 onwards, as per the respective scheme provisions.
- for all other schemes, at the rates approved by the Board of Trustees of erstwhile UTI.

B. Operation:

- i. Income and expenses of the fund are accounted for on accrual basis.
 - ii. Investments are stated as per policy stated in E above.
 - iii. The fund mainly invest in the equity shares of companies promoted/co-promoted by the Trust.
 - iv. Two Years after closure of a scheme, at the end of the accounting year the residual assets are valued on the basis of market price, if available, otherwise as per the approved rates. The value so arrived at is adjusted against liabilities/provisions and the resultant net surplus/deficit is transferred to DRF. In case of pooled schemes this practice is followed two years after closure of the last scheme. Any claims in future against these schemes are charged to DRF.
- C. The balances of Post redemption schemes where strategic equity is held on behalf of Government Of India , are shown under DRF, duly matched assets and liabilities.

D. Other Funds:-

Currently we are having two Funds namely Asset Reconstruction Fund and Staff Welfare Fund, established through contribution from the Development Reserve Fund.

K. Income Distribution :

- i. Provision for income distribution on unit capital is made at rates approved by the Scheme Provisions/ Administrator.

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2011

Rupees in Lakhs

	UNIT SCHEME 64 BONDS	
	31.03.2011	31.03.2010
LIABILITIES		
CAPITAL.....'A'		
RESERVES AND SURPLUS.....'B'	210,319.84	173,987.48
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS.....'C'	164,021.33	217,176.68
SIZE OF DEVELOPMENT RESERVE FUND	461,458.86	521,492.42
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS OF DRF	35,986.21	39,010.36
LIABILITIES OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRF	83,777.03	76,588.88
DEVELOPMENT RESERVE FUND.....'D'	581,232.10	637,091.66
SIZE OF OTHER FUNDS	117,515.38	110,483.36
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS OF OTHER FUNDS	102,179.41	123,674.63
OTHER FUNDS.....'E'	219,694.79	234,357.69
TOTAL LIABILITIES	1,175,267.86	1,282,593.65
ASSETS		
INVESTMENTS.....'F'	362,055.62	375,357.69
DEPOSITS.....'G'		
CURRENT ASSETS.....'H'	4,985.28	7,694.74
FIXED ASSETS.....'I'	7,300.09	6,082.01
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND	497,455.07	560,502.76
ASSETS OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRF	83,777.03	76,588.88
TOTAL ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND.....'J'	581,232.10	637,091.66
ASSETS OF OTHER FUNDS.....'K'	219,694.79	234,357.69
TOTAL ASSETS	1,175,267.86	1,282,593.65

NOTES TO ACCOUNTS.....'M'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date
For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants

[Signature]
ASHOK BHARTIA
Partner



[Signature]
IMTAIAZUR RAHMAN
Chief Finance Officer

[Signature]
K.N. PRITHVIRAJ
Administrator

Mumbai
Dated: 03/06/2011

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2010 TO 31ST MARCH, 2011

Rupees in Lakhs

	UNIT SCHEME 64 BONDS	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME		
DIVIDEND	38,914.74	16,755.17
INTEREST	(2,927.46)	970.62
PROFIT ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	3,449.20	3,674.27
OTHER INCOME	613.16	445.87
PRIOR PERIOD INCOME	-	-
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	-	157.39
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT & DEPOSITS WRITTEN BACK	271.90	-
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK DURING YEAR	162.64	2.08
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATION WRITTEN BACK	-	151.08
SUB TOTAL (A)	40,384.18	22,356.48
LESS : COST OF INVESTMENTS WRITTEN OFF		
LESS: PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	37.71	39.88
LESS: PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT & DEPOSITS	9.90	110.76
LESS : PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATION	-	-
SUB TOTAL (B)	47.61	150.44
TOTAL (A-B)	40,336.57	22,206.04
EXPENDITURE		
INTEREST PAID TO BONDHOLDERS FOR THE YEAR		
OFFICE EXPENSES	462.53	752.90
PUBLICITY EXPENSES	0.04	0.19
CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	804.01	281.04
AUDITORS' FEES	11.88	9.33
AMC FEES	492.45	859.49
DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	113.61	185.54
SUB TOTAL (A)	1,884.53	2,089.19
ADD: LOSS ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	1,494.19	2,554.86
SUB TOTAL (B)	1,494.19	2,554.86
TOTAL (A+B)	3,378.71	4,642.95
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	36,957.86	17,563.10
TOTAL	40,336.57	22,206.04

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA


REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2010 TO 31ST MARCH, 2011

Rupees in Lakhs

	UNIT SCHEME 64 BONDS	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT		
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	36,957.86	17,563.10
ADD(LESS): PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(400.88)	7,431.78
TOTAL	36,556.98	24,994.87
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	36,556.98	24,994.87
TOTAL	36,556.98	24,994.87

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants

ASHOK BHARTIA
Partner

IMTAIAZUR RAHMAN
Chief Finance Officer

K.N. PRITHVIRAJ
AdministratorMumbai
Dated : 03/06/2011

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

Rupees in Lakhs

	UNIT SCHEME 64 BONDS	
	31.03.2011	31.03.2010
SCHEDULE 'A'		
CAPITAL		
BOND CAPITAL		
TOTAL		
SCHEDULE 'B'		
RESERVES AND SURPLUS		
UNIT PREMIUM RESERVE		
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET (UPR)	(279,463.84)	(279,463.83)
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR (NET)		(0.01)
TOTAL	(279,463.84)	(279,463.84)
FIXED ASSETS REVALUATION RESERVE		
BALANCE AS PER LAST B.SHEET (REVALUATION RESERVE)	5,373.44	10,458.35
LESS: TRANSFERRED TO DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	204.77	386.27
LESS: TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	74.94	4,698.64
TOTAL	6,093.74	6,373.44
SCHEDULE 'B' (Contd.)		
GENERAL RESERVE		
GENERAL RESERVE ON UNIT CAPITAL		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	448,057.83	418,364.23
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	38,566.98	24,984.97
TRANSFERRED FROM FIXED ASSET REVALUATION RESERVE	74.94	4,698.63
SUB TOTAL (B)	486,699.75	448,057.83
GRAND TOTAL	218,318.64	173,987.48
SCHEDULE 'C'		
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
CURRENT LIABILITIES		
SUNDRY CREDITORS	87,604.08	138,281.82
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	61.17	61.17
UNCLAIMED INCOME/INTEREST DISTRIBUTION	70,732.13	75,305.61
TOTAL (A)	158,407.38	211,628.60
SCHEDULE 'C' (Contd.)		
PROVISIONS		
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	254.22	216.51
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	3,282.50	3,524.50
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATION	1,782.37	1,782.37
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	24.88	24.88
TOTAL (B)	5,323.98	5,548.26
TOTAL (A)+(B)	164,021.33	217,176.86
SCHEDULE 'D'		
DEVELOPMENT RESERVE FUND		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	521,492.42	487,330.60
TRANSFER OF BALANCES OF MERGED FUNDS		
PREMIUM ON SALE/ REDEMPTION	(60.24)	(66.04)
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	42,362.78	56,173.47
SUB TOTAL 'A'	563,794.96	523,438.03
LESS: UTILISATION DURING THE YEAR	102,336.10	1,945.61
SUB TOTAL 'B'	461,458.86	521,492.42
SIZE OF DEVELOPMENT RESERVE FUND SUB TOTAL C=A-B	102,336.10	1,945.61
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
SUNDRY CREDITORS	4,047.89	4,089.20
UNCLAIMED INCOME/INTEREST DISTRIBUTION	23,507.03	24,312.57
GRANT RECEIVED FROM GOI		
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	117.71	162.82
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	8,319.49	10,441.68
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATION	4.09	4.09
CURRENT LIAB. AND PROVISION OF DRF-SUB TOTAL 'D'	35,996.21	39,010.36
TOTAL X = (C+D)	497,455.07	560,502.79

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011 (CONTD.)

Rupees in Lakhs

	UNIT SCHEME 64 BONDS	
	31.03.2011	31.03.2010
SCHEDULE 'D' (Contd.)		
LIABILITIES OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRF		
POST REDEMPTION FUND		
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET	32,460.08	28,781.43
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	7,580.68	3,941.78
UTILISATION OF FUND	220.35	273.13
SUB TOTAL (a)	39,820.31	32,460.08
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
SUNDRY CREDITORS	13.84	6.54
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	43,743.18	43,743.18
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	200.00	372.05
SUB TOTAL (b)	43,966.72	44,122.78
LIAB. OF POST REDEM. SCHEMES UNDER DRF TOTAL Y= A+B	83,777.03	76,682.86
DEVELOPMENT RESERVE FUND Z = X + Y	681,232.76	637,091.68
SCHEDULE 'E'		
OTHER FUNDS		
(A) STAFF WELFARE FUND (SWF)		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	23,766.23	23,092.81
NET INCOME DURING THE YEAR	1,170.04	764.59
UTILISATION DURING THE YEAR	62.89	81.17
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	24,873.38	23,766.23
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
SUNDRY CREDITORS		0.44
SUB TOTAL (b)		0.44
TOTAL 'A' = (a+b)	24,873.38	23,766.67
(B) ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	88,717.13	82,798.96
INCOME EARNED DURING THE YEAR	6,250.79	4,233.96
UTILISATION OF FUND	325.92	315.79
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	92,642.00	88,717.13
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		
SUNDRY CREDITORS	328.07	62.32
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	6,640.12	7,815.29
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	98,211.22	116,996.48
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATIONS		
SUB TOTAL (b)	102,179.41	123,874.09
TOTAL 'B' = (a+b)	194,821.41	210,691.22
SIZE OF OTHER FUNDS - TOTAL I	117,616.36	110,483.36
CURRENT LIAB. & PROVN. OF OTHER FUNDS-TOTAL II	102,179.41	123,874.63
OTHER FUNDS TOTAL (A+B)	219,694.79	234,357.89

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011 (CONTD.)

Rupees in Lakhs

	UNIT SCHEME 84 BONDS	
	31.03.2011	31.03.2010
SCHEDULE 'F'		
INVESTMENTS		
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	-	-
DEBENTURES AND BONDS	7,147.87	11,830.15
PREFERENCE SHARES	1,377.23	1,380.04
EQUITY SHARES	332,947.19	334,841.44
MUTUAL FUND UNITS	20,583.33	27,835.92
TOTAL	362,055.62	375,387.55
QUOTED (AT COST)	282,376.27	290,399.48
UNQUOTED (AT COST)	69,679.35	84,988.06
'A'	362,055.62	375,387.54
QUOTED (MARKET VALUE)	1,877,910.02	1,829,258.18
UNQUOTED (AT VALUATION)	31,928.31	43,270.84
'B'	1,909,838.33	1,872,529.02
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT TOTAL ('B' - 'A')	1,547,782.71	1,187,141.48
SCHEDULE 'G'		
DEPOSITS		
DEPOSITS WITH BANKS	-	-
OTHER DEPOSITS	-	-
TOTAL	-	-
SCHEDULE 'H'		
CURRENT ASSETS		
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	968.33	2,897.90
SUNDRY DEBTORS	3,490.08	3,742.99
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	-	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	503.94	585.99
ADVANCES, DEPOSITS ETC	22.93	487.87
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	-	-
REMITTANCE TO GOVERNMENT OF INDIA	-	-
TOTAL	4,985.28	7,684.74

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011 (CONTD.....)

U S 64 BONDS

SCHEDULE '1'
FIXED ASSETS

	GROSS BLOCK AT COST				DEPRECIATION				NET BLOCK			
	AS ON 31st MARCH, 2010	ADDITIONS/ADJUSTMENTS	DEDUCTIONS/ADJUSTMENTS	TOTAL AS ON 31.03.2011	AS ON 31st MARCH, 2010	DEDUCTIONS/ADJUSTMENTS	DEP. ON COST FOR 1.4.10 TO 31.03.2011	DEP. ON REVALUED COST 1.4.10 TO 31.03.11	TRANSFERRED FROM REVALUATION RESERVE	TOTAL AS ON 31.03.2011	AS ON 31st MARCH, 2011	AS ON 31st MARCH, 2010
LAND (LEASEHOLD)	181.26	0.00	66.90	111.36	104.03	22.78	1.39	1.39	0.00	92.64	28.75	77.26
LAND (FREEHOLD)	1490.35	0.00	0.00	1490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1490.35	1490.35
BUILDINGS	1062.52	0.00	0.00	1062.52	498.28	0.00	5.60	28.22	22.62	526.50	536.02	564.24
OFFICE PREMISES (LEASEHOLD)	48.29	0.00	0.00	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	48.29	0.00	0.00
OWNERSHIP PREMISES	10351.72	0.00	149.50	10202.22	4869.06	70.81	92.00	274.15	182.15	5072.42	5129.79	5482.63
BUILDING IMPROVEMENTS	428.76	0.00	428.76	0.00	417.07	417.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
FURNITURE & FIXTURE	1461.47	0.00	1121.99	339.48	1120.14	839.11	5.88	5.88	0.00	286.90	52.57	341.33
OFFICE EQUIPMENTS	2653.66	0.14	2587.59	66.21	2623.26	2558.68	0.49	0.49	0.00	65.08	1.12	30.38
MOTOR VEHICLES	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPUTERS	958.97	0.00	0.00	958.97	944.95	0.00	4.67	4.67	0.00	949.62	9.35	14.02
	18635.05	0.14	4355.76	14279.43	10625.15	3908.48	110.03	314.90	204.77	7031.45	7247.95	8009.87
ADVANCE TOWARDS PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	52.14	0.00	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.14	52.14
TOTAL	18687.19	0.14	4355.76	14331.57	10625.15	3908.48	110.03	314.90	204.77	7031.45	7300.09	8062.01

(RUPES IN LAKHS)

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011 (CONTD.)

Rupees in Lakhs

	UNIT SCHEME 64 BONDS	
	31.03.2011	31.03.2010
SCHEDULE 'J'		
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND		
EQUITY SHARES/PREF SHARES	145,310.30	145,488.31
DEBENTURES AND BONDS	37.05	37.05
MUTUAL FUND UNITS	48,950.86	48,950.86
DEPOSITS WITH BANKS	158,500.00	133,000.00
OTHER DEPOSITS	21,080.51	43,928.29
GOI SPECIAL BONDS	300.00	300.00
INVESTMENT AT COST	374,178.72	371,708.61
SUB TOTAL (A)		
CURRENT ASSETS		
SUNDRY DEBTORS	117,113.05	184,746.59
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	6,117.46	3,992.81
SHARES / DEBENTURES APPLICATION MONEY	-	-
BANK BALANCES	45.84	57.87
CONTRACT FOR SALE OF INVESTMENTS	-	-
SUB TOTAL (B)	123,276.35	188,797.27
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND TOTAL P=A+B	497,455.07	560,505.78
SCHEDULE 'J' (Contd.)		
ASSETS OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRP		
POST REDEMPTION FUND		
EQUITY SHARES	34,290.48	34,290.48
MUTUAL FUND UNITS	13,714.01	13,714.01
DEPOSITS WITH BANKS	-	-
OTHER DEPOSITS	4,541.55	5,877.81
INVESTMENT AT COST	52,546.04	53,862.30
SUB TOTAL (A)		
CURRENT ASSETS		
SUNDRY DEBTORS	31,230.99	22,906.58
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	-	-
SUB TOTAL (B)	31,230.99	22,906.58
ASSETS OF POST REDEM. SCHEMES UNDER DRP Q=A+B	83,777.03	76,768.88
TOTAL ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND R = P + Q	581,232.10	637,274.66
SCHEDULE 'K'		
ASSETS OF OTHER FUNDS		
(A) ASSETS OF STAFF WELFARE FUND (SWF)		
CENTRAL&STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	-	-
EQUITY SHARES	500.00	500.00
DEBENTURES AND BONDS	-	-
MUTUAL FUND UNITS	3,839.77	3,839.77
OTHER DEPOSITS/DEPOSITS WITH BANKS	2,609.75	3,890.55
INVESTMENT AT COST	7,049.52	8,330.32
SUB TOTAL (a)		
CURRENT ASSETS		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	-	-
SUNDRY DEBTORS	17,823.86	15,438.33
SUB TOTAL (b)	17,823.86	15,438.33
TOTAL A = (a+b)	24,873.38	23,768.65
(B) ASSETS OF ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)		
DEBENTURES AND BONDS	820.86	5,397.86
EQUITY SHARES	264.10	20.87
MUTUAL FUND UNITS	23,124.40	23,124.40
TERM LOANS	447.45	840.01
OTHER DEPOSITS/DEPOSITS WITH BANKS	8,886.42	12,807.48
INVESTMENT AT COST	33,533.23	42,190.22
SUB TOTAL (a)		
CURRENT ASSETS		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	8,637.67	7,812.75
SUNDRY DEBTORS	154,650.51	180,588.27
SUB TOTAL (b)	161,288.18	188,401.02
TOTAL B = (a+b)	194,821.41	210,591.24
ASSETS OF OTHER FUNDS TOTAL (A+B)	219,694.79	234,357.89

**ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2011**

	Rupees in Lakhs				
	ARS BONDS		DIP 91		MIP 96 IV
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2010
LIABILITIES					
CAPITAL.....'A'					
RESERVES AND SURPLUS.....'B'	(119,956.54)	(126,089.20)	2,549.94	2,419.56	4,617.61
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS.....'C'	228,444.64	246,732.79	949.40	1,065.83	2,781.82
TOTAL LIABILITIES	108,488.10	120,643.60	3,499.34	3,485.39	7,399.43
ASSETS					
INVESTMENTS.....'D'	101,031.59	111,840.90	0.01	0.01	
DEPOSITS.....'E'			368.15	577.24	1,133.59
CURRENT ASSETS.....'F'	5,456.51	8,602.70	3,131.18	2,908.14	6,265.84
TOTAL ASSETS	106,488.10	120,643.60	3,499.34	3,485.39	7,399.43

NOTES TO ACCOUNTS.....'M'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date
For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants



ASHOK BHARTIA
Partner

Sharma
IMTIAZUR RAHMAN
Chief Finance Officer

Prithvi
K.N. PRITHVIRAJ
Administrator

Mumbai
Dated : 03/06/2011

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2010 TO 31ST MARCH, 2011

	Rupees in Lakhs							
	ARS BONDS		DIP 91		MIP 96 IV			
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME								
DIVIDEND	7,400.74	2,997.79	-	-	-	-	-	-
INTEREST	(630.51)	6,370.29	164.33	505.90	25.43	193.33	25.43	193.33
PROFIT ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	25.59	811.91	-	5.80	-	98.06	-	98.06
OTHER INCOME	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS - INCOME	-	415.75	-	(451.97)	-	-	-	-
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME PR YEAR WRITTEN BACK	-	0.91	-	44.62	155.96	-	155.96	-
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT & DEPOSITS WRITTEN BACK	-	184.62	-	381.16	1,387.50	28.55	1,387.50	28.55
PROVISION FOR DEPRECIATION IN VALUE OF INVESTMENT WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATION WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL (A)	6,795.82	10,781.27	164.33	485.51	1,568.89	319.97	1,568.89	319.97
LESS:PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	29.87	5.66	-	-	38.99	-	38.99	-
LESS:PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT & DEPOSITS	-	38.74	-	6.68	-	-	-	-
LESS:PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATION	-	-	-	70.74	-	58.62	-	58.62
SUB TOTAL (B)	29.87	44.40	-	77.42	38.99	58.62	38.99	58.62
TOTAL (A-B)	6,765.95	10,736.87	164.33	408.09	1,529.90	261.35	1,529.90	261.35
EXPENDITURE								
INCOME DISTRIBUTION	66.00	328.12	1.48	0.92	59.78	2.05	59.78	2.05
OFFICE EXPENSES	129.74	126.17	0.70	1.87	18.57	15.95	18.57	15.95
CUSTODIAL,REGISTRAR & BANK CHGS	1.57	1.22	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.03
AUDITORS FEES	78.93	133.78	7.36	9.44	7.47	18.42	7.47	18.42
AMC FEES	15.14	-	0.39	(10.08)	0.42	0.85	0.42	0.85
PRIOR PERIOD EXPENSES	291.38	589.29	9.95	2.17	86.25	37.30	86.25	37.30
ADD :LOSS ON INTER SCHEME SALE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADD: LOSS ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	341.91	8,580.64	-	380.52	1,211.81	2.89	1,211.81	2.89
SUB TOTAL (B)	341.91	8,580.64	-	380.52	1,211.81	2.89	1,211.81	2.89
TOTAL (A)+(B)	6,33.29	9,169.93	9.95	382.69	1,298.06	40.19	1,298.06	40.19
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	6,132.66	1,566.94	154.38	25.40	231.84	221.16	231.84	221.16
TOTAL	6,765.95	10,736.87	164.33	408.09	1,529.90	261.35	1,529.90	261.35

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2010 TO 31ST MARCH, 2011

	Rupees in Lakhs					
	ARS BONDS		DIP 91		MIP 96 IV	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT						
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	6,132.66	1,566.94	154.38	25.40	231.84	221.16
TOTAL	6,132.66	1,566.94	154.38	25.40	231.84	221.16
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR						
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	6,132.66	1,566.94	154.38	25.40	231.84	221.16
TOTAL	6,132.66	1,566.94	154.38	25.40	231.84	221.16

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date
For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants



1981

ASHOK BHARTIA
Partner

Imtaiyazur Rahiman
Chief Finance Officer

K.N. PRITHVIRAJ
Administrator

Mumbai
Dated : 03/06/2011

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

	Rupees in Lakhs					
	ARS BONDS		DIP 91		MIP 96 IV	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
SCHEDULE 'A'						
CAPITAL						
BOND CAPITAL						
TOTAL						
SCHEDULE 'B'						
RESERVES AND SURPLUS						
GENERAL RESERVE						
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	(126,089.20)	(127,271.86)	2,419.56	2,395.62	4,617.61	4,399.07
ADD : TRANSFER OF GENERAL RESERVE OF MERGED SCHEMES	-	-	-	-	-	-
ADD : BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	6,132.66	1,566.94	154.38	25.40	231.84	221.16
ADD : PREMIUM ON SALE/REPURCHASE/REDEMPTION	-	(384.26)	(24.00)	(1.46)	(4,280.59)	(2.62)
TOTAL	(119,956.54)	(126,089.20)	2,549.94	2,419.56	568.86	4,617.61
SCHEDULE 'C'						
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS						
CURRENT LIABILITIES						
SUNDRY CREDITORS	137,662.67	136,395.89	-	0.11	3.23	3.57
UNCLAIMED INCOME/INTEREST DISTRIBUTION	87,627.92	109,212.25	414.40	530.73	1,549.24	1,250.58
SUB TOTAL (A)	225,290.49	245,608.14	414.40	530.84	1,552.47	1,254.15
PROVISIONS						
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	82.17	52.30	4.02	4.02	-	116.97
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	1,017.59	1,017.59	530.97	530.97	23.19	1,410.69
PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS	-	-	0.01	0.01	-	-
PROVISION FOR OLD ITEMS IN RECONCILIATIONS	54.39	54.39	-	-	-	-
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	-	0.37	-	-	-	-
SUB TOTAL (B)	1,154.15	1,124.65	535.00	535.00	23.19	1,527.66
TOTAL (A + B)	226,444.64	246,732.79	949.40	1,065.84	1,575.66	2,781.81

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011 (CONTD.)

	Rupees in Lakhs					
	ARS BONDS		DIP 91		MIP 96 IV	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
SCHEDULE 'D'						
INVESTMENTS						
INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)						
CENTRAL & STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	33,183.43	33,183.43	-	-	-	-
DEBT SECURITIES AND BONDS	5,712.14	16,275.93	-	-	-	-
PREFERENCE SHARES	200.00	200.00	-	-	-	-
EQUITY SHARES	45,869.80	48,115.32	0.01	0.01	-	-
MUTUAL FUND UNITS	16,068.22	16,068.22	-	-	-	-
TOTAL	101,031.59	111,840.90	0.01	0.01	-	-
QUOTED (AT COST)	42,876.26	41,877.32	-	-	-	-
UNQUOTED (AT COST)	58,155.30	69,963.57	0.01	0.01	-	-
'A'	101,031.59	111,840.89	0.01	0.01	-	-
QUOTED (MARKET VALUE)	322,528.71	252,098.12	-	-	-	-
UNQUOTED (AT VALUATION)	57,519.38	68,976.96	-	-	-	-
'B'	380,048.09	319,075.08	-	-	-	-
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVT. (B-A)	279,014.60	207,234.19	(0.01)	(0.01)	-	-
SCHEDULE 'E'						
DEPOSITS						
DEPOSITS WITH BANKS	-	-	368.15	577.24	239.37	1,133.59
OTHER DEPOSITS	-	-	368.15	577.24	239.37	1,133.60
TOTAL	-	-	368.15	577.24	239.37	1,133.59
SCHEDULE 'F'						
CURRENT ASSETS						
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	3,520.81	6,567.39	2.68	3.70	7.00	0.39
SUNDRY DEBTORS	1,272.54	1,349.49	3,045.59	2,921.53	1,668.04	5,908.37
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	663.38	302.82	82.91	82.91	240.11	357.08
TOTAL	5,456.73	8,219.70	3,131.18	2,908.14	1,905.15	6,265.84

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA**NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2011****Schedule "M"**

1. The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002". In exercise of the powers conferred under the Repeal Act, the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz Specified Undertaking of Unit Trust Of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. These financial statements are drawn up for SUUTI, pursuant to the said Repeal Act.
2. The Government of India announced limited repurchase facility at the specified assured prices for US 64 and financial package for assured return schemes. The difference between the net asset value (NAV) and the applicable repurchase / assured price had been compensated by the Government. This deficit have been accounted for as 'Inflow from GOI Special Packages' under the Unit Premium Reserve and the amount received in advance in respect of short fall is accounted under the head 'Sundry Creditors' in the case of US 64 and for other schemes the deficit shown under 'General Reserve' have been made up by the DRF which has been accounted for all Govt. grant received as 'Grant Received from GOI'.
3. The application money available under various schemes amounting to Rs. 2.31 crore (previous year Rs.2.93 crore) and Rs.31.46 crore outstanding under CGGF 86 for matured cases.
4. a. The unlisted /non traded preference shares costing Rs.15.76 crore (previous year 15.80 crore) have been valued at NIL as in the opinion of the 'valuation committee' the said preference shares have very negligible residual value.
b. The reconciliation of our Books of Accounts with the custodian (SHCIL) has revealed the following difference:-
 - (i) Rs. 7.66 crore (cost) in equity shares, out of which 0.24 crore shares lying with the custodian are to be returned to the company/promoter and for 7.42 crores the sale of equity shares effected in books by us but the shares yet to be released.
 - (ii) Rs. 0.05 crore(cost) in preference shares where the companies are not responding /are under liquidation.

- (iii) Difference of Rs. 232.87 crore of face value in debentures and bonds. Out of this for Rs. 155.85 crore legal action is taken for recovery of dues and for Rs.20.55 crore the confirmation/letter evidencing servicing of dues from company is available. Further for Rs.33.53 crore, the companies have not issued security subsequent to restructuring. Other differences of Rs. 22.94 are on account of redemption proceeds not received, redemption receipts accounted subsequently in books or the companies are sick/liquidated etc.

5. Investments include,:

- i) Shares costing Rs.0.057 crore (previous year Rs.0.057 crore) which were notified by the custodian appointed under the Special Court (TORTS) Act, 1992. Though the necessary formalities required for transfer of these shares have been completed by the Trust, the matter is still pending with the Stock Exchange/Office of the custodian; however petition has been filed in Special Court Mumbai for all the cases.
- ii) Unsecured advances and loans extended from time to time as provided under sub section (3) of section 19 of the erstwhile UTI Act 1963;
- iii) Equities and debts where the certificates are yet to be issued by the companies;
- iv) Debt exposure in respect of which security creation is in process.


6. Following are the companies where SUUTI has substantial holding.


Name of the Company	% holding of SUUTI
UTI Investment Advisory Services Ltd.	89.33%
Axis Bank Ltd.	23.68%
UTI Infrastructure Technology and Services Ltd.	100%

7. The work relating to management and maintenance of property belonging to SUUTI and related matters has been outsourced to UTI Infrastructure Technology and Services Limited (Company), a 100% subsidiary of SUUTI. The company is yet to enter into formal agreement with SUUTI relating to the scope of work and related services.

- a. The formalities relating to documentation for various properties under the ownership/ possession of SUUTI are being completed as the sale is a continuous process.
- b. SUUTI has given the properties on lease to various companies, however the formal agreements with lessees are sent to them and yet to be entered.
- c. During the year, SUUTI has sold various properties, formalities relating to transfer/sale of properties in few cases, are under process as the sale is a continuous process.

8. Contingent Liabilities not provided for cases pending with Consumer Forum is Rs.1.42 crore.
9. The figures are regrouped / reclassified wherever necessary.


IMTIAZUR RAHMAN
Chief Finance Officer


K. N. PRITHVIRAJ
Administrator

For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS


ASHOK BHARTIA
Partner



MUMBAI

DATED : 03/06/2011

AUDITORS' REPORT

**The Administrator,
Specified Undertaking of Unit
Trust of India (SUUTI),
Mumbai**

We have audited the attached Balance Sheets of 2 Schemes viz. VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1989 (VECAUS I) and VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1991 (VECAUS III) of Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) as at 31st March 2011 and also the related Revenue Accounts for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standard generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

On the basis of the Audit indicated herein, and as required by the 'The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002', and subject to the limitations of disclosure required therein, we report that :

1. The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act 2002. In exercise of the powers conferred under the Act, the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 has notified 1st February 2003 as the "Appointed Day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz. Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI mutual Fund.

Subject to our observations referred herein above, we further report that;

- a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit ;
- b. The Balance Sheets and related Revenue Accounts are in agreement with the books of accounts ;
- c. In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the notes as per Schedule 'H' and the statement of Significant Accounting policies.
 - i. the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with 'The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002', so as to exhibit a true and fair view of affairs of the Scheme as on 31st March 2011.
 - ii. The said Revenue Accounts of the Schemes show a true and fair view of the Excess of Income over Expenditure for VECAUS-I and VECAUS-III for the year ended on that date.

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA
VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF PRESENTATION

The accounts have been prepared under the historical cost convention adjusted where appropriate for the revaluation of investments. The accrual method of accounting is followed, except where otherwise stated.

2. INCOME RECOGNITION

- a) Dividend on equity shares is recognised on ex-dividend dates in respect of quoted companies and on the respective dates of the shareholders' resolution in the case of unquoted companies. Dividend on preference shares is recognised on receipt basis.
- b) Interest is recognised on accrual basis except where collectibility is in doubt. Revenue recognition on loans placed in nonaccrual status may be resumed and suspended income recognised when the investment becomes contractually current or collection of suspended incomes is assured. Premium on loan prepayments is recognised as income when received.
- c) Realised gains and losses (including permanent impairment) on investments are dealt with in the Revenue Account. The cost of long term investments sold is determined on an average basis for the purpose of calculating gains or losses on sale. The cost of short term investments sold is determined on FIFO basis for the purpose of determining gains or loss on sale.
- d) Provisions are made in respect of accrued income considered doubtful by the Fund Manager. Such provisions as well as any subsequent recoveries are recorded through the Revenue Account.
- e) Appraisal fee is recorded as income on an accrual basis. Front-end fee is recorded on accrual basis and is reflected as a recovery of a part of the cost of investments.

3. EXPENSES

All expenses are accounted for on accrual basis.

4. UNREALISED INVESTMENT RESERVE

Unrealised gains and temporary losses are recognised as components of Investors' equity and are dealt with under Unrealised Investment Reserve.

5. SHORT TERM INVESTMENTS

Investments in units of mutual funds, which are available for sale, are carried at the Net Asset Value (NAV) as at the Balance Sheet date. The unrealized gain on these investments is taken to the Reserves & Surplus Account.

6. INVESTMENTS

- a) Investments are stated at their aggregate fair value categorywise as determined by the Fund Manager.
- b) The fair value of investments is determined as follows :
 - i. Quoted investments are valued on the valuation date at the closing market price. Quoted investments that are not traded on the valuation date but are traded during the two months prior to the valuation date are valued at the latest known closing price. An appropriate discount is applied where the Fund Manager considers it necessary to reflect restrictions on disposal. Quoted investments not traded during the two months' prior to the valuation day are treated as unquoted.
 - ii. Unquoted equity investments in respect of which third party transactions at arm's length have taken place or terms for which have been agreed to are valued on the basis of such transactions less discount where applicable to reflect their illiquidity. In the absence of such third party transactions:
 - Equity investments in start-up or development stage companies are generally valued at cost. If in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value of any such investment, the investment is written down to its estimated net realisable value.
 - Equity investments in profitable companies are generally valued by reference to a price based on the maintainable earnings by applying an appropriate price earnings multiple less discount to reflect their illiquidity.
 - Equity investments in other companies are generally valued at cost. If in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value of any such investment, the investment is written down to its estimated net realisable value.
 - The post balance sheet events, including the application of appropriate price earnings multiple, have been considered and factored upto the date on which these statements have been prepared in assessing the fair value of the unquoted investments as at March 31, 2011.
 - iii. Investments, which are listed as at Balance Sheet date and are fully written off in the books during earlier periods, will be carried at written down value. Gains, if any, will be recognized upon sale of investments.
 - iv. Normal loans, Bridge loans, Conditional loans and Convertible loans are generally carried at the principal amounts outstanding and are written down where in the Fund Manager's opinion there is diminution in value.
 - v. Debentures are valued either at cost or on the basis adopted for the underlying equity shares. Preference Shares are valued at the lower of cost or recoverable amount.

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2011

	Rupees in Lakhs			
	VECAUS I		VECAUS III	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
ASSETS				
INVESTMENTS.....'A'	411.55	385.99	1,556.76	
DEPOSITS.....'B'	0.55	0.88	7.89	7.86
OTHER CURRENT ASSETS.....'C'	4.87	3.65	803.05	730.15
TOTAL	416.97	390.52	2,367.70	768.01
LESS : CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS.....'D'	3.86	2.29	1,797.92	1,804.74
NET ASSETS	413.11	388.23	569.78	(1,076.73)
REPRESENTED BY LIABILITIES				
CAPITAL.....'E'				
RESERVES & SURPLUS.....'F'	373.54	364.64	599.76	(1,076.73)
UNREALISED INVESTMENT RESERVE.....'G'	39.57	23.29		
TOTAL	413.11	388.23	599.76	(1,076.73)

NOTES TO ACCOUNTS 'H'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date
For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants



ASHOK BHARTIA
Partner

Mumbai
Dated : 03/06/2011

Yazur Rahman
INTP
YAZUR RAHMAN
Chief Finance Officer

K.N. Prithviraj
K.N. PRITHVIRAJ
Administrator

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2010 TO 31ST MARCH, 2011

	Rupees in Lakhs					
	VECAUS I		VECAUS III			
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME						
DIVIDEND	1.51	-	21.75	18.75		
INTERES	9.55	10.34	2.79	10.61		
PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS	-	-	-	61.88		
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	-	-	5.00	-		
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT AND DEPOSITS WRITTEN BACK	-	-	-	153.39		
PROVISION FOR DEPRECIATION IN VALUE OF INVESTMENT WRITTEN BACK	-	-	1,560.92	-		
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	-	-	58.14	-		
SUB TOTAL (A)	11.06	10.34	1,648.60	244.63		
LESS: INVESTMENT LOSSES	-	-	1.66	79.32		
LESS: PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	-	-	-	-		
LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION IN VALUE OF INVESTMENT	-	-	-	74.78		
SUB TOTAL (B)	-	-	1.66	154.10		
TOTAL (A-B)	11.06	10.34	1,646.94	90.53		
EXPENDITURE						
MANAGEMENT/PERFORMANCE FEES	-	-	-	-		
LEGAL AND PROFESSIONAL CHARGES	0.55	0.55	-	-		
OTHER EXPENDITURE	1.91	0.76	0.43	0.46		
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	-	0.85	-	0.84		
	2.46	2.16	0.43	1.30		
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	8.60	8.18	1,646.51	89.23		
TOTAL	11.06	10.34	1,646.94	90.53		

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE PERIOD 1ST APRIL, 2010 TO 31ST MARCH, 2011

	Rupees in Lakhs					
	VECAUS I		VECAUS II		VECAUS III	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	364.94	356.76	(1,076.73)	(1,165.96)		
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	8.60	8.18	1,646.51	89.23		
	373.54	364.94	569.78	(1,076.73)		
TOTAL						
PREMIUM PAID ON REDEMPTION						
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET	373.54	364.94	569.78	(1,076.73)		
TOTAL	373.54	364.94	569.78	(1,076.73)		

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date
For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & CO.
Chartered Accountants



ASHOK BHARTIA
Partner

Imtiazur Rahman
IMTAIAZUR RAHMAN
Chief Finance Officer

K.N. PRITHVIRAJ
Administrator

Mumbai
Dated : 03/06/2011

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

	Rupees in Lakhs					
	VECAUS I		VECAUS II		VECAUS III	
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
SCHEDULE 'A'						
INVESTMENTS AT VALUATION						
EQUITY SHARES	411.55	385.99	1,556.76			
MUTUAL FUND UNITS	411.55	385.99	1,556.76			
TOTAL						
INVESTMENTS AT COST						
QUOTED						
EQUITY SHARES			288.34		292.50	
UNQUOTED						
EQUITY SHARES			2,143.94		2,143.94	
MUTUAL FUND UNITS	371.99	362.70				
TOTAL COST 'A'	371.99	362.70	2,432.28		2,436.44	
QUOTED(MARKET VALUE)	411.55	385.99	33.81			
UNQUOTED(AT VALUATION)			1,522.95			
FAIR VALUE 'B'	411.55	385.99	1,556.76			
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN THE VALUE OF INVESTMENTS.						
TOTAL ('B' - 'A')	39.56	23.29	(875.52)		(2,436.44)	
SCHEDULE 'B'						
DEPOSITS						
OTHER DEPOSITS	0.55	0.88	7.89		7.86	
TOTAL	0.55	0.88	7.89		7.86	
SCHEDULE 'C'						
OTHER CURRENT ASSETS						
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	1.14	0.18	1.10		1.10	
SUNDRY DEBTORS	3.73	3.47	801.82		778.92	
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME			0.13		0.13	
TOTAL	4.87	3.65	803.05		780.15	

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

	Rupees in Lakhs		
	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2010
	VECAUS I		VECAUS III
SCHEDULE 'D'			
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
CURRENT LIABILITIES			
SUNDRY CREDITORS	3.86	2.29	1,116.84
INCOME RECEIVED IN ADVANCE			
SUB TOTAL (A)	3.86	2.29	1,116.84
PROVISIONS			
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS			612.89
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME			135.01
SUB TOTAL (B)			747.90
TOTAL (A+B)	3.86	2.29	1,797.92
SCHEDULE 'E'			
UNIT CAPITAL			
OPENING BALANCE			
LESS: REDEEMED DURING THE YEAR			
TOTAL			
SCHEDULE 'F'			
RESERVES AND SURPLUS			
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT			
BALANCE AS PER ACCOUNT	373.54	364.94	569.78
			(1,076.73)
TOTAL	373.54	364.94	569.78
			(1,076.73)
SCHEDULE 'G'			
UNREALISED INVESTMENT RESERVE			
UNREALISED GAINS AS PER LAST BALANCE SHEET...	23.29	15.54	
APPRECIATION/(DEPRECIATION) DURING THE PERIOD.....	16.28	7.74	
TOTAL	39.57	23.29	

**SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA
VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES**


**NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH, 2011**

SCHEDULE H

1. The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002". In exercise of the powers conferred under the Repeal Act, the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz. Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund.
2. Investments under VECAUS schemes are held either jointly in the names of the Unit Trust of India (UTI) and ICICI Venture Funds Management Company Limited or singly in the name of the Unit Trust of India.
3. VECAUS-I scheme was launched in 1994. The scheme was to be closed/ terminated in October 2004. However extension has been granted and it has not so far been terminated.
4. Previous years figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.


**IMTAIAZUR RAHMAN
CHIEF FINANCE OFFICER**

**For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS**


**ASHOK BHARTIA
PARTNER
MUMBAI**

DATED : 03/06/2011



K. N. PRITHVIRAJ, Administrator

[ADVT. III/4/41/11/Exty.]